सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण

B.S.T.C. (D.El.Ed.)

(प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए)

पाठ्यक्रम

प्रथम वर्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण

B.S.T.C. (D.El.Ed.)

(प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए)

पाठ्यक्रम

प्रथम वर्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

मुख्य संरक्षक

माननीय श्री कालीचरण सर्राफ
शिक्षा मंत्री
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा,
उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

डॉ. श्याम अग्रवाल
अति. मुख्य सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

श्री नरेशपाल गंगवार
शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

संरक्षक

श्री रवि जैन
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

मुख्य मार्गदर्शक
श्री भंवर सिंह सान्दू
निदेशक
एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

मार्गदर्शक
श्रीमती रश्मि भार्गव
विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग
एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

प्रभारी
डॉ. रतन पुरी गोस्वामी
अनुसंधान सहायक,
शिक्षक शिक्षा विभाग
एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

कम्प्यूटर कार्य

शिवराज यादव

गिरजाशंकर घारू

प्रतियाँ 1000

प्रकाशन वर्ष 2014

ICICI Foundation

आमुख

राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में एक शिक्षक की अहम् भूमिका है। बदलते परिदृश्य के सापेक्ष शिक्षक के दायित्वों में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव अपेक्षित हैं। एन.सी.एफ–2005 में शिक्षा और शिक्षण के संम्प्रत्यय की वृहत् समीक्षा की गई है। एन.सी. एफ.टी.ई–2009 में शिक्षक–शिक्षा के प्रतिमानों को अद्यतन आवश्यकताओं और परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। बी.एस.टी.सी. की नवनिर्मित पाठ्यचर्या को प्रासंगिक बदलावों व चुनौतियों को संदर्भ में रखते हुए नवीन स्वरूप दिया गया है।

इस हेतु देश के शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध विद्वानों के साथ मिलकर वर्ष 2006 में बने राजस्थान के B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यचर्या में उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा गया था, परन्तु नवीनतम परिस्थितियों के संदर्भ में उसमें कई और बदलाव स्वाभाविक रूप से वांछित थे सो इस नवीन पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम में समाहित कर प्रकाशित किया जा रहा है। इस संदर्भ में B.S.T.C. (D.El.Ed.) के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किये हैं।

पाठ्यक्रम बदलाव के समानान्तर 'इन्टर्नशिप' की प्रक्रिया को प्रभावी, पारदर्शी व प्रयोजनीय बनाने हेतु एस.आई.ई. आर.टी. उदयपुर एवं आई.सी.आई.आई फाउन्डेशन फॉर इनकुलुसिव ग्रोथ (आई.एफ.आई.जी.) के संयुक्त प्रयास द्वारा यह पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है। इसे बनाने में समर्पित विद्वज्जनों ने टीम भावना से अथक प्रयास किए हैं जो सराहनीय तो हैं ही साथ ही अमूल्य भी हैं।

इस पाठ्यक्रम के निर्माण में सम्पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करने वाले एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विषय विशेषज्ञ, विद्यालयों के शिक्षक, आई.एफ.आई.जी., शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थान एवं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी विद्वज्जन बधाई के पात्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः आशान्वित हूँ तथा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह पाठ्यक्रम भावी शिक्षकों के व्यावहारिक आयामों को प्रभावी बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास में अतुलनीय सहयोग करेगा।

भँवर सिंह सान्दू
निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान
उदयपुर

अनुक्रमणिका

भाग – (क) प्रबंधन एवं सामान्य निर्देश

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	2
2.	पाठ्यचर्या बदलाव की प्रासंगिकता	2
3.	पाठ्यचर्या राजस्थान के संदर्भ में	3
4.	पाठ्यचर्या के उद्देश्य	4
5.	डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.)पाठ्यचर्या की संरचना	5
6.	मूल्यांकन योजना	6
7.	उपलब्ध दिवसों की संख्या एवं कालांश योजना	12
8.	सामान्य निर्देश	15
9.	विद्यालय अनुभव कार्यक्रम	16
10.	प्रथम वर्ष	21

भाग - (ख) पाठ्यक्रम

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	बचपन और बच्चे	26
2.	शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या	28
3.	भारतीय समाज और शिक्षा	31
4.	भाषा, संज्ञान और समाज : पाठ्यचर्या के संन्दर्भों में	33
5.	हिन्दी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	35
6.	अंग्रेजी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	36
7.	गणित शिक्षण	43
8.	पर्यावरण अध्ययन	46
9.	कला शिक्षण	49
10.	सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी	51
11.	कार्य शिक्षा	53
12.	आपदा प्रबन्धन	58

भाग – (क)
प्रबंधन एवं सामान्य निर्देश

B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यचर्या

प्रस्तावना

शिक्षक का दायित्व बच्चों को सिर्फ जानकारियों व तथ्यों को प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उनमें वैयक्तिक, नैतिक, सामाजिक तथा शाश्वत् मूल्यों को स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत स्थापित करना है। बदलते हुए वैश्विक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य में शिक्षकों के शिक्षण के लिए कोई एक स्थापित विधि या तरीका नहीं हो सकता। शिक्षण सतत आत्मचिन्तन, रचनात्मकता व सृजनशीलता से परिमार्जित होता है। शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य बच्चों की सीखने की असीम क्षमताओं को पहचानना है। शिक्षक द्वारा अपनी संवेदनशीलता, सकारात्मक प्रोत्साहन व प्रेरणा से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के सभी कारकों का आनुभविक अध्ययन भी शिक्षक को करना चाहिए। इस द्विवर्षीय B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यचर्या में विद्यार्थी–शिक्षक इस प्रकार के क्रियाकलापों एवं अनुभवों से गुजरेंगे, जिनसे उनके व्यक्तित्व के सभी आयाम भावी शिक्षकीय जीवन में प्रतिबिम्बित होंगे।

पाठ्यचर्या बदलाव की प्रासंगिकता

शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में समय–समय पर बदलाव वांछित होते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्र के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ थीं। उस समय राष्ट्र के तीव्र विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। तत्कालीन समस्याओं से उबरते हुए हमने हमारी शिक्षण प्रक्रिया का उत्तरोत्तर परिष्कार किया। हाल ही के कुछ दशकों में कुछ नवीन मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं व शिक्षण सम्प्रत्ययों का उद्‌गम हुआ है। बाल केन्द्रित शिक्षण, आनन्ददायी शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण जैसी अवधारणाएँ उभरकर सामने आई हैं। शिक्षण के अनेकानेक तौर–तरीकों में से कक्षा शिक्षण औपचारिक शिक्षण का एक छोटा हिस्सा मात्र है। औपचारिक बन्धनों से मुक्त रखकर बच्चों को रोचक वातावरण में शिक्षित किया जाना चाहिए। उनकी क्षमताओं को पहचानकर तद्‌नुसार उनके लिए आगे बढ़ने की परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्ष 2006 में बने राजस्थान के B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यचर्या में उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा गया था, परन्तु नवीनतम परिस्थितियों के संदर्भ में उसमें कई और बदलाव स्वाभाविक रूप से वांछित हैं।

देश की शिक्षा में कई प्रकार के प्रासंगिक बदलाव हुए हैं। इस दौरान शिक्षा में एक नई लहर चली जिसकी शुरुआत 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005' से हुई। इसके अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर नई पाठ्यपुस्तकें बनी एवं राजस्थान में भी इसका अनुसरण किया गया। वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा' का प्रकाशन हुआ। उसी वर्ष एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रांरभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया।

एन.सी.एफ 2005 के अनुसार सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री / गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं।

एन.सी.एफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त अहम हैं :–

1. ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना।
2. यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटन्त प्रणाली से मुक्त हो।
3. पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराएँ।
4. परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
5. एक ऐसी पहचान का विकास हो जिससे प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था सुदृढ़ हो।

इसी क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) 2009 से शिक्षा व्यवस्था व प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन आये जिसमें निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित होते हैं–

– संविधान में निहित मूल्यों के अनुसार शिक्षा देना।

- बच्चे का सर्वांगीण विकास करना।
- बच्चे में ज्ञान, अन्तर्निहित क्षमता एवं प्रतिभा का विकास करना।
- बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास करना।
- बाल–केन्द्रित व बाल–मैत्रीपूर्ण वातावरण में क्रियाकलापों, अनुसंधानों, खोजपरक विधियों एवं क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कराना।
- यथासम्भव मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराना।
- बच्चे को भय व चिन्तामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा उसे अपने भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में सहायता देना।
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे के ज्ञान, अवबोध तथा उसे उपयोग कर सकने की योग्यता का मापन करना।

एन.सी.एफ.–2005, एन.सी.एफ.टी.ई.–2009 एवं आर.टी.ई.–2009 दस्तावेजों से शिक्षा और शिक्षक की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आये हैं। इनमें ज्ञान, सीखना एवं बच्चों के बारे में एक नवीन धारणा उभरी है। पहले धारणा थी कि बच्चे खाली घड़े हैं, जिसे मनचाहे पदार्थों से भरा जा सकता है, या गीली मिट्टी के समान हैं, जिन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता है। पूर्व में यह माना जाता था कि सभी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सामान्यतया एकरूपता है, लेकिन अब यह समझ बन रही है कि वास्तव में बच्चों में विभिन्नताएँ हैं और वे अपनी विशिष्ट सोच, अनुभव, संकल्पनाएँ और योजनाएँ लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे अपनी ही रुचि व समझ के अनुरूप सीखते हैं। वे बने–बनाये या थोपे गए ज्ञान को आत्मसात् नहीं करते हैं, अपितु खुद उसकी रचना करते हैं। इस प्रक्रिया में उनके निजी अनुभवों और रुचियों का बड़ा योगदान है।

इस दौर में यह भी स्पष्ट हुआ है कि बच्चों का बचपन एक जैसा नहीं है। समाज के विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि द्वारा उसका निर्धारण होता है। समाज की ये विभिन्नताएँ ही अपने बच्चों से अलग–अलग अपेक्षाएँ करती हैं और उन्हें उसी के अनुरूप अवसर भी देती हैं। यह वैविध्यपूर्ण बचपन, शिक्षा के प्रति विविध अभिरुचियाँ एवं शैक्षिक सरोकार निर्मित करता है।

ज्ञान अब एक तयशुदा व अपरिवर्तनीय तथ्यों का समूह मात्र नहीं रह गया है, अपितु बदली हुई परिस्थितियों में उसे एक सतत परिवर्तनशील और बहुपक्षीय तथ्यों के रूप में देखा गया है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका ज्ञान प्रदाता की न होकर ज्ञान सृजन में सहायक की हो जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों से संवाद में शिक्षक स्वयं नए ज्ञान का सृजन करते हैं तथा निरंतर स्वयं सीखते जाते हैं। ज्ञान और सीखने की ये धारणाएँ वास्तव में कक्षा में समानता, लोकतांत्रिकता और सामूहिकता के सिद्धान्तों को स्थापित कर देती हैं तथा इससे सीखने–सिखाने वाले का भेद मिट जाता है और कक्षा के हर बच्चे एवं शिक्षक की भूमिका समान रूप से विशिष्ट बन जाती है।

एक कक्षा में उपर्युक्त परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु शिक्षकों को हर प्रकार के भेदभाव और पूर्वाग्रहों को त्याग कर बच्चों के मध्य विभिन्नताओं व विशिष्टताओं को पहचानना व स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक को अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं पर पुनर्विचार कर उन्हें सकारात्मक आकार देना चाहिए। इस प्रकार के विचारशील व्यक्तित्व के शिक्षकों को तैयार करने में मदद करना इस नई पाठ्यचर्या का उद्देश्य है।

राजस्थान का संदर्भ

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यह स्पष्ट करती है कि बच्चों में ज्ञान सृजन की आवश्यकता को न केवल वैश्विक संदर्भ में, बल्कि उनकी स्थानीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए। भौगोलिक विविधताओं व अनेक सामाजिक चुनौतियों के रहते राजस्थान में शिक्षा के विस्तार व उसके सार्वभौमीकरण के लिए सतत प्रयास होते रहे हैं, इसमें शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित वर्ग को जोड़ने के लिए शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुंबिश एवं डी.पी.ई.पी. परियोजना जैसे कार्यक्रमों को अपनाया गया। इस पाठ्यचर्या को निर्मित करते समय यह भी उद्देश्य रहा कि इन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के अनुभवों को सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा में समाहित की जाए। साथ ही यह अपेक्षित है कि विद्यार्थी–शिक्षक राज्य की विविधताओं, सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़ी चुनौतियों को समझें और उसके अनुरूप अपने शैक्षिक दर्शन व शिक्षण विधाओं का विकास करें।

इस पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय शिक्षक–शिक्षा से जुड़े हुए राज्य स्तरीय शिक्षाविदों, विद्वानों, शिक्षक–प्रशिक्षकों शिक्षकों एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों के अनुभवों को आधार बनाया गया है, साथ ही विद्यार्थी–शिक्षकों के विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई। शिक्षाविदों ने अपने अनुभव विश्लेषण की प्रक्रिया में पाया कि B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यचर्या में विद्यालय

अनुभव कार्यक्रम के सन्दर्भ में व्यापक परिवर्तन अनिवार्य है, जिससे विद्यार्थी–शिक्षकों का शिक्षण गुणवत्तापूर्ण व वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो सकें। अतः विद्यालय अनुभव कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप दिया गया ताकि बदलते संदर्भों में शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकें।

शिक्षक विद्यालयी शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, जिस पर पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा है। विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में गहरा सम्बन्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों एवं विद्यालयी शिक्षाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य के सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का नवीनीकरण एन.सी.एफ.–2005, निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, एन.सी.एफ.टी.ई.–2009 की अनुशंसाओं के विभिन्न आयामों को आधार में रखते हुए किया गया है।

उद्देश्य

एन.सी.एफ. 2005 एवं एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का विद्यालय में समावेश करने के लिए इस पाठ्यचर्या के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों की परवाह करें तथा उनके साथ आनन्द अनुभव करें, बच्चों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भ में समझें, उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करें।
2. विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में समझें न कि केवल ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में। विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों मे ज्ञान के सृजन की क्षमता को प्रोत्साहित करें जिससे सीखना रटन्त प्रणाली से मुक्त हो सकें और सीखना आनन्ददायी, अर्थपूर्ण और भागीदारी की प्रक्रिया हो सकें।
3. विद्यार्थी–शिक्षक पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें एवं स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में देख सकें।
4. विद्यार्थी–शिक्षक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में निहित ज्ञान को दी गई वस्तु न समझें।
5. विद्यार्थी–शिक्षक में बालकेन्द्रित, क्रिया आधारित, सहभागितायुक्त अनुभवों यथा खेल प्रायोजना, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण जैसी गतिविधियों का आयोजन करने की क्षमता का विकास हो सकें तथा स्वयं की सीखने–सिखाने की प्रक्रिया पर चिन्तन कर सकें।
6. विद्यार्थी–शिक्षक कक्षा–कक्ष में सामाजिक एवं व्यक्तिगत विविधताओं को पहचान कर सीखने की प्रक्रिया में उनका समावेश कर सकें।
7. विद्यार्थी–शिक्षक शान्ति, जीवन की प्रजातांत्रिक शैली, समानता, न्याय, स्वतन्त्रता की भावना, धर्म निरपेक्षता जैसे मूल्यों को पोषित करें एवं सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु प्रतिबद्ध रहें।
8. विद्यार्थी–शिक्षक विषय–वस्तु के ज्ञान ,बच्चों, समुदाय और पाठ्यचर्या उद्देश्यों के आधार पर सीखने–सिखाने की योजना का निर्माण कर सकें।
9. विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के सामाजिक एवं शारीरिक विकास और निरंतर बौद्धिक विकास को सुनिश्चित कर मूल्यांकित करने हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रविधियों को समझेंगे और उपयोग कर सकेंगे।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ्यक्रम में विद्यार्थी-शिक्षकों को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण अवसर दिए गए हैं :-

1. बच्चों का अवलोकन करना, उनके साथ मिलजुल कर काम करना उनसे वार्तालाप कर उनके साथ जुड़ना।
2. स्वयं एवं दूसरों के विश्वासों, मान्यताओं सवेगों तथा आकांक्षाओं की समझ रखना तथा आत्मविश्लेषण, स्वमूल्यांकन, अनुकूलता, लचीलापन, सृजनशीलता एवं नवाचारों के लिए क्षमता विकसित करना ।
3. स्वप्रेरित होकर सीखने की आदतों तथा क्षमताओं को विकसित करना। सोचना, विमर्श करना, आत्मसात करना, और नए विचारों को अभिव्यक्त करना। स्वयं के विचारों के प्रति समालोचनात्मक होना तथा समूह के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करना।

4. विषयगत ज्ञान तथा सामाजिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करना विषयवस्तु को सीखने वाले के परिवेश से जोड़ना तथा उनमें समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना।

5. शिक्षाशास्त्रीय विधाओं ,अवलोकन क्षमता, दस्तावेजीकरण, विश्लेषण, व्याख्या, नाटक, कहानी, हस्तकला, अन्वेषण जैसे कौशलों को विकसित करना।

B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यचर्या की संरचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सुझाई गयी पाठ्यचर्या के परिपेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस पाठ्यचर्या को विकसित किया गया है। जिसके मुख्यतया तीन भाग हैं।

प्रथम भाग में बुनियादी विषय है, जिनके अन्तर्गत बाल अध्ययन, शिक्षा–दर्शन, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक सरोकार तथा उभरते हुए समसामयिक मुद्दों को रखा गया है।

द्वितीय भाग में शिक्षाशास्त्रीय विषय हैं जिनके अन्तर्गत भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं तृतीय भाषा), गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जैसे विषयों के शिक्षण पर प्रकाश डाला गया है। इनमें विषय की प्रकृति, विषयवस्तु तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया आदि पर चर्चा की गई है।

तृतीय भाग में विद्यालय अनुभव को रखा गया है, जिसमें यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थी–शिक्षक को वास्तविक परिस्थितियों में संचालित विद्यालयों में प्रत्यक्ष अनुभव मिल सकें। विद्यार्थी–शिक्षक इन वास्तविक अनुभवों से सीख कर विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों में दक्षता प्राप्त कर सकें एवं व्यावहारिक शिक्षण में पारंगत हो सकें।

इस पाठ्यचर्या में विषयों को पढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। इसमें अपेक्षित है कि विद्यार्थी–शिक्षक उन सभी शिक्षण–अनुभवों को प्राप्त करें जो उन्हें हर परिस्थिति में शिक्षण करने में सक्षम बनाएँ। विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा संस्थान के शिक्षक एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के अनुभवों से उन शिक्षण विधाओं का विकास करें जो अत्यन्त व्यावहारिक व सहज हों। साथ ही कार्य शिक्षा तथा आपदा प्रबन्धन को विषय की प्रकृति और प्रासंगिकता के अनुरूप सभी विषयों में समाहित करने की अपेक्षा की गई है।

मूल्यांकन योजना

विद्यार्थी–शिक्षकों के मूल्यांकन में व्यापकता, निष्पक्षता व निरन्तरता लाने के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में विद्यार्थी–शिक्षक व शिक्षक–प्रशिक्षक दोनों की सृजनशीलता को बढ़ावा मिलें, इस हेतु मूल्याकंन के बदलते आयामों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 की भावना के अनुरूप मूल्यांकन की कार्ययोजना बनाई गई है। यहाँ मूल्यांकन को सृजनशीलता एंव रचनात्मकता के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है।

ईस पाठ्यचर्या में मूल्यांकन योजना को मुख्यतः आंतरिक मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन में विभाजित किया गया है।

बाह्य मूल्यांकन के तहत सत्र के अन्त में लिखित परीक्षा का आयोज़न किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः तर्क/कारण से सम्बन्धित प्रश्न, समझ से सम्बन्धित प्रश्न एंव विश्लेषणात्मक प्रश्नों का समावेश होगा।

आन्तरिक मूल्यांकन को मुख्यतः सैद्धान्तिक व क्रियात्मक भागों में विभाजित किया गया है। सैद्धान्तिक आंन्तरिक मूल्यांकन के तहत दो परख परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। प्रथम–परख पाठ्यक्रम के 50 प्रतिशत और द्वितीय–परख शेष 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। आन्तरिक मूल्यांकन के पीछे आशय यह है कि विद्यार्थी–शिक्षक दी गयी विषय वस्तु और पठन सामग्री में अपने अनुभवों को मिलाकर चिन्तन की ओर अग्रसर हो, समस्याओं पर अपनी समालोचनात्मक दृष्टि विकसित कर सकें। यहाँ आन्तरिक क्रियात्मक मूल्यांकन के लिए क्रियाकलाप सुझाए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य क्रियाकलाप भी विषय–वस्तु की प्रकृति, शिक्षक–प्रशिक्षक के सुझाव एवं विद्यार्थी–शिर्क्षक की रुचि के आधार पर चयन किए जा सकते हैं।

मूल्यांकन योजना (प्रथम वर्ष)

क्र.स.	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र का नाम	मूल्यांकन		
			बाह्य मूल्यांकन	आन्तरिक मूल्यांकन	योग
1.	प्रथम प्रश्न पत्र	बच्चे और बचपन	70	30	100
2.	द्वितीय प्रश्न पत्र	शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या	70	30	100
3.	तृतीय प्रश्न पत्र	भारतीय समाज और शिक्षा	70	30	100
4.	चतुर्थ प्रश्न पत्र	भाषा, संज्ञान और समाज, पाठ्यचर्या के संदर्भों में	35	15	50
5.	पंचम प्रश्न पत्र	हिन्दी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	60	40	100
6.	षष्टम प्रश्न पत्र	अंग्रेजी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	60	40	100
7.	सप्तम प्रश्न पत्र	गणित शिक्षण	60	40	100
8.	अष्टम प्रश्न पत्र	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण	60	40	100
9.	नवम् प्रश्न पत्र	कला शिक्षण	~~20~~ 30	~~30~~ 20	50
10.	दशम् प्रश्न पत्र	सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी (ICT)	20	30	50
	योग		~~450~~ 535	~~325~~ 315	**850**
		विद्यालय अनुभव	**75**	**175**	**250**
	महायोग		~~600~~ 610	~~500~~ 490	**1100**

आंतरिक मूल्यांकन योजना (प्रथम वर्ष)

प्रश्न पत्र क्रमांक	प्रश्न पत्र का नाम	सैद्धांतिक				क्रियात्मक	कुल अंक
		प्रथम सत्रीय परीक्षा		द्वितीय सत्रीय परीक्षा			
		पाठ्यक्रम	अंक भार	पाठ्यक्रम	अंक भार	अंक भार	
1.	बच्चे और बचपन	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	10	30
2.	शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	10	30
3.	भारतीय समाज और शिक्षा	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	10	30
4.	भाषा, संज्ञान और समाज : पाठ्यचर्या के संदर्भों में	प्रथम 50 %	5	शेष 50 %	5	5	15
5.	हिन्दी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	प्रथम 50 %	13	शेष 50 %	12	15	40
6.	अंग्रेजी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	प्रथम 50 %	13	शेष 50 %	12	15	40
7.	गणित शिक्षण	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	20	40
8.	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण	प्रथम 50 %	10	शेष 50 %	10	20	40
9.	कला शिक्षण	प्रथम 50 %	5	शेष 50 %	5	~~20~~ 10	~~30~~ 20
10.	सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी	प्रथम 50 %	5	शेष 50 %	5	20	30

सुझावात्मक क्रियात्मक कार्य - प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए

1. प्रोजेक्ट कार्य
2. केस स्टडी
3. क्रियात्मक अनुसंधान / सर्वेक्षण
4. मनोवैज्ञानिक परीक्षण
5. लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति–निबन्ध प्रतियोगिता, वाद–विवाद, पत्रवाचन, नाटक, कवितापाठ, प्रदर्शनी, संगीत, कहानी आदि
6. भित्ति पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका, चित्र बनाना, स्क्रैप बुक,
7. शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण – कोलाज निर्माण, मॉडल निर्माण, चार्ट / पोस्टर निर्माण
8. विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन,
9. पेपरमेशी से आकृति निर्माण
10. सेमिनार, कॉंफ्रेंस, पेनल चर्चा, समूह चर्चा, वाद–विवाद, कार्यशाला, आशुभाषण, प्रस्तुतीकरण, मूकाभिनय, एकाभिनय,
11. क्विज प्रतियोगिता
12. पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन
13. ई–लर्निंग सामग्री
14. पर्यावरण संचेतना कार्यक्रम
15. प्रश्न–पत्र निर्माण
16. संग्रहण
17. खेल मैदानों का निर्माण
18. खेलों का आयोजन
19. ब्रेन स्टॉर्मिंग
20. साहित्य संकलन एवं निर्माण

नोट – इसके अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षक एवं विद्यार्थी–शिक्षक और भी गतिविधियाँ विषयानुसार कर सकते हैं।

मूल्यांकन हेतु निर्देश

प्रत्येक विषय हेतु

1. उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय के पूर्णांक का 40% प्राप्तांक अनिवार्य है।
2. प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं विद्यालय अनुभव के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
3. मूल्यांकन प्रश्न पत्रों में ज्ञान, तर्क/कारण से सम्बन्धित प्रश्न, समझ से सम्बन्धित प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्ञान प्रयोग एवं कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएँगे।
4. प्रश्न, पत्र में एक ही भाग होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम वर्ष में चतुर्थ, नवम, एवं दशम, प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी।
5. द्वितीय वर्ष में अष्टम प्रश्न पत्र (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा) के लिए परीक्षा की निर्धारित अवधि 2 घंटे होगी।
6. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में अंकभार फाउण्डेशन कोर्स में 70:30 प्रतिशत एवं पैडागॉजी कोर्स में 60:40 प्रतिशत होगा ।
7. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन में दो परख एवं क्रियात्मक कार्य का पोर्टफोलियो अनिवार्य है।
   - दोनों परख में निर्धारित पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों का समावेश होना आवश्यक है।
   - क्रियात्मक कार्य में अंक आंतरिक मूल्यांकन योजनानुसार दिए जाएँगे।
8. आंतरिक मूल्यांकन में परख हेतु समयावधि 1 घंटा होगी।
9. प्रश्न पत्र में बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान, अति लघूत्तरात्मक, लघूत्तरात्मक एवं निबन्धात्मक प्रश्न दिए जाएँगे।
10. न्यूनतम उपस्थिति एन.सी.टी.ई. के नियमों के अनुसार 200 दिवस अनिवार्य हैं।
11. विद्यालय अनुभव में एक यूनिट के लिए फाइनल लेसन एवं मौखिक परीक्षा हेतु दो दिन आवश्यक हैं (एक यूनिट = 50 विद्यार्थी–शिक्षक)
12. फाइनल लैसन हेतु दो पाठ योजना बनवाई जानी आवश्यक है। एक पाठ योजना पर फाइनल लैसन होगा। रिपिटेशन हो सकता है

उपलब्ध दिवसों की संख्या एवं कालांश योजना

कार्य दिवसों का विभाजन इस प्रकार है –

- प्रत्येक सत्र में उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या – 240 दिन
- प्रवेश कार्य के लिए कार्य दिवस – 10 दिन
- परीक्षा तैयारी के लिए कार्य दिवस – 04 दिन
- समालोचना पाठ – 06 दिन
- परीक्षा के लिए कार्य दिवस – 10 दिन
- विद्यालय अनुभव तैयारी के लिए कार्य दिवस – 10 दिन
- विद्यालय अनुभव हेतु कार्य दिवसों की संख्या – 50 दिन
- सैद्धान्तिक कार्य दिवसों की संख्या – 150 दिन

  प्रति दिवस 8 कालांशों के आधार पर

  सत्र में उपलब्ध कालांशों की संख्या –150 X 8 = 1200

समय विभाजन - प्रथम वर्ष

सैद्धान्तिक शिक्षण	– 150 कार्यदिवस X 8	=	1200 कालांश
विद्यालय अनुभव	– 50 कार्यदिवस X 8	=	400 कालांश
विद्यालय अनुभव तैयारी	– 10 कार्यदिवस X 8	=	80 कालांश
कुल कालांशों का योग		=	**1680 कालांश**

समय विभाजन - द्वितीय वर्ष

सैद्धान्तिक शिक्षण	– 150 कार्यदिवस X 8	=	1200 कालांश
विद्यालय अनुभव	– 43 कार्यदिवस X 8	=	344 कालांश
स्काउट एवं गाइड शिविर	– 07 कार्यदिवस X 8	=	56 कालांश
विद्यालय अनुभव तैयारी	– 10 कार्यदिवस X 8	=	80 कालांश
कुल कालांशों का योग		=	**1680 कालांश**

कालांश योजना – द्वितीय वर्ष

पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या – 210

क्र.स.	सैद्धान्तिक	द्वितीय वर्ष	कालांश निर्धारण		
			सैद्धान्तिक	क्रियात्मक	योग
1.	प्रथम प्रश्न पत्र	बच्चे और सीखना	140		140
2.	प्रश्न पत्र द्वितीय	विद्यालयी संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक	140		140
3.	तृतीय प्रश्नपत्र	आधुनिक बिश्व में विद्यालयी शिक्षा	140		140
4.	चतुर्थ प्रश्न पत्र	हिन्दी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	140		140
5.	पंचम् प्रश्न पत्र	अंग्रेजी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता	140		140
6.	षष्टम् प्रश्न पत्र	गणित शिक्षण	140		140
7.	सप्तम् प्रश्न पत्र	तृतीय भाषा : संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/सिंधी/गुजराती	140		140
8.	अष्टम् प्रश्न पत्र	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	80		80
9.	नवम् प्रश्न पत्र	सामाजिक विज्ञान/विज्ञान	140		140
		योग	**1200**		**1200**
		विद्यालय अनुभव तैयारी		80	80
		विद्यालय अनुभव एवं स्काउट गाइड शिविर		400	400
			1200	**480**	**1680**

पाठ्यक्रम के लिए सामान्य निर्देश

1. यह पाठ्यक्रम द्विवर्षीय होगा। प्रत्येक सत्र में 240 कार्य दिवस उपलब्ध होंगे। 200 कार्य दिवस की उपस्थिति पर ही विद्यार्थी–शिक्षक परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु पात्र होगा।
2. प्रथम वर्ष में कुल 10 प्रश्न पत्र एवं द्वितीय वर्ष में 9 प्रश्न पत्र रखे गए हैं द्वितीय वर्ष में नवम् प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय (विज्ञान/सामाजिक विज्ञान) के रूप में होगा।
3. प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य होगा जिसमें पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्णांक 40% होगा।
4. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है– सैद्धान्तिक पक्ष एवं विद्यालय अनुभव। प्रत्येक सत्र में कुल 50 कार्य दिवस विद्यालय अनुभव के लिए निर्धारित हैं। इनमें द्वितीय वर्ष के लिए 7 दिनों का स्काउट एवं गाइड शिविर है। 7 दिवसीय शिविर में भाग लेने पर ही विद्यार्थी–शिक्षक का अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
5. आन्तरिक मूल्यांकन हेतु दो परख एवं विषय की प्रकृति के अनुसार क्रियात्मक कार्य करवाया जाएगा। प्रत्येक विषय में न्यूनतम एक क्रियात्मक कार्य करना अनिवार्य होगा।
6. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की समझ एवं क्रियात्मक कार्य का उपयोग अन्य विषयों के शिक्षण अनुभव में भी किया जाएगा।
7. कला शिक्षा के विभिन्न पक्षों को भी अन्य विषयों को साथ समाहित किया गया है।
8. "कला शिक्षा" एवं "स्वास्थ्य एवं शारीरिक" शिक्षा में 40 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण हेतु शिक्षण बिन्दुओं की सूची विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका में दी गयी है जिसके आधार पर समग्र एवं दैनिक शिक्षण योजना निर्मित की जानी चाहिए।
9. कार्य शिक्षा विषय की विषयवस्तु एवं कार्यकलाप प्रथम एवं द्वितीय वर्ष दोनों के लिए लागू है। सम्मिलित की गई विषय–वस्तु को किस विषय के साथ समाहित किया जा सकता है, इसका उल्लेख भी किया गया है।
10. आपदा प्रबंधन सम्बन्धी मूलभूत जानकारियाँ विद्यार्थी–शिक्षकों में संवेदनशीलता, समझ एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी सहयोग कर सकने की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से पठन सामग्री के रूप में दी गई है।

विद्यालय-अनुभव कार्यक्रम (इन्टर्नशिप)

किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने वाले प्रशिक्षु के लिए इन्टर्नशिप एक महत्त्वपूर्ण कार्यकाल होता है। व्यवस्थित व व्यावहारिक इन्टर्नशिप की अवधि के बिना डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि अपने व्यवसाय में अपेक्षित स्तर की दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम में भी विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) की एक महत्त्वपूर्ण अवधि होती है। इसी अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक एक मननशील व परिपक्व पेशेवर (Professional) के रूप में निखरता है। अतः एक भावी शिक्षक को तैयार करने में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा निर्माण (एन.सी.एफ) 2005 मे शिक्षक की एक मननशील पेशेवर के रूप में संकल्पना की गई है। बदलती अवधारणाओं व परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण (एन.सी.एफ.टी.ई.) 2009 में शिक्षकों के दायित्व व भूमिका को प्रासंगिक बदलावों के संदर्भ में रखते हुए देखा गया है। नवीन संदर्भ में 'अभ्यास–शिक्षण' के स्थान पर विद्यालय–अनुभव शब्द–युग्म का प्रयोग किया गया है। इससे आशय यह है कि विद्यालय में शिक्षण–अभ्यास ही एकमात्र प्रयोजन नहीं है, बल्कि विद्यालय के प्रशासन तन्त्र, वहाँ की गतिविधियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को भी व्यापक रूप से समझना है। विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व शैक्षिक निर्धारकों का अध्ययन करना आवश्यक है। नवीन पाठ्यचर्या में संकल्पित विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक को विद्यालय में वे सभी अवसर प्रदान किए गए हैं जिनसे वे शिक्षण के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पक्षों को स्वाभाविक प्रक्रिया के अन्तर्गत सीख सकें।

सैद्धान्तिक पक्षों को सीखने के साथ–साथ यदि विद्यार्थी–शिक्षक को कक्षा–शिक्षण, प्रार्थना–सभा, विद्यालय गतिविधियों, सामाजिक रीति–रिवाजों व बाल–मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्राथमिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं तो शिक्षक के रूप में उनका व्यक्तित्व त्वरित गति से निखरता है। इन प्रक्रियाओं में सम्मिलित होकर विद्यार्थी–शिक्षकों में न केवल आत्मविश्वास का संचार होता है, बल्कि अधिगम के सैद्धान्तिक पक्षों की तार्किक व मनोवैज्ञानिक विवेचना करने की क्षमता भी प्राप्त होती है।

विद्यालय अनुभव के इस कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक को स्वयं अन्वेषण करने के अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं। कभी वह अवलोकनकर्ता के रूप में अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करता है तो कभी एक सहभागी के रूप में विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ जाता है। शिक्षक का दायित्व केवल विषयवस्तु का सम्प्रेषण करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी की संकल्पनाओं व ज्ञान का स्वाभाविक निर्माण करना है। इसके साथ–साथ शिक्षक को कक्षा प्रबन्धन, मूल्यांकन के नवीन सम्प्रत्ययों, गतिविधियों के आयोजन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षण में उपयोग करने जैसें विषयों पर भी दक्ष होना आवश्यक है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक को अभिभावकों व सामुदायिक ईकाइयों से सम्पर्क के अवसर प्रदान किए गए हैं जिनसे वे शिक्षा व उभरते सामाजिक पटल के पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण कर सकें। विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम व संकल्पनाओं को समझने के अवसर प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उनमें अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन के लिए सर्वे, केस स्टडी, मननशील रिपोर्ट, क्रियात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया है।

इन्टर्नशिप को प्रभावी व परिणामवर्धक बनाने हेतु विद्यालय अनुभव कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है।

प्रथम व द्वितीय वर्ष में क्रमशः 50–50 दिन की इन्टर्नशिप अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक न केवल अपने कक्षा–शिक्षण व्यवहार में प्राथमिक अनुभव पाकर पारंगत होगा, बल्कि अपनी सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। सम्पूर्ण अवधि में विद्यार्थी–शिक्षक को वे सभी अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे उसके व्यक्तित्व के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक व संवैधानिक आयामों को विकसित किया जा सकें।

दोनों वर्षों में विद्यालय– अनुभव कार्यक्रम की अवधि 50–50 दिनों की है।

(1) 10 दिवस चयनित विद्यालय के अवलोकन हेतु निर्धारित हैं तथा इस हेतु विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट / B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान में तैयारी के लिए 2 दिवस दिए गए हैं। इस कार्यक्रम से यह अपेक्षा है कि विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय को समझें तथा इसके विभिन्न घटकों से परिचत हों, कक्षा–कक्ष प्रक्रिया को समझें, विषयवस्तु के बारे में अपनी समझ बना पाएँ, कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय में अध्यापक की भूमिका को समझें। इस दौरान विद्यार्थी–शिक्षक प्रतिदिन 4 कालांश कक्षा शिक्षण का अवलोकन करेंगे। अवलोकन प्रत्येक विषय, अध्यापक एवं कक्षा का किया जाएगा। शेष 4 कालांशों में विद्यालय अभिलेखों, अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों, बैठकों आदि का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

(2) 40 दिवस शिक्षण अनुभव के लिए निर्धारित हैं तथा इस हेतु विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट / B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान में तैयारी हेतु 5 दिवस दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक चयनित विद्यालय में दो–दो के समूह में शिक्षण कार्य करेंगे। जब पहला विद्यार्थी –शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा होगा तो दूसरा (उसका साथी विद्यार्थी–शिक्षक) उसका अवलोकन करेगा व अगले कालांश में दूसरा विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा एवं पहला साथी उसका अवलोकन करेगा। दोनों विद्यार्थी–शिक्षक एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए शिक्षण अनुभव प्राप्त करेंगे, एक दूसरे की समालोचना करते हुए अपने शिक्षण कौशलों को विकसित करेंगे साथ ही विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता करेंगे। विद्यार्थी–शिक्षकों के शिक्षण का नियमित अवलोकन विद्यालय के संस्थाप्रधान, शिक्षक, डाइट / B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान के शिक्षक–प्रशिक्षक, प्रधानाचार्य करेंगे एवं विद्यार्थी –शिक्षकों को फीडबैक देंगे। प्रत्येक 10 दिन की अवधि के बाद विद्यार्थी–शिक्षक डाइट / B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान में जाकर विषय से संबंधित शिक्षक–प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

उद्देश्य

- विद्यार्थी–शिक्षक को भावी शिक्षक के रूप में तैयार करना।
- सैद्धान्तिक पक्षों के आधार पर विद्यालय को एक इकाई के रूप में समझना व विद्यालयी संस्कृति की समालोचना करना।
- राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों, समुदाय और विद्यालय के संगठनात्मक ढाँचों में सम्बन्ध देखना।
- कक्षा को समाजशास्त्रीय तथा शिक्षणशास्त्रीय इकाई के रूप में समझना।
- कक्षा–शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, विद्यालय–प्रबंधन व विद्यालय के अन्य पक्षों को समझना व उनकी समालोचना करना।
- विद्यालय के शिक्षा तंत्र को समझना व विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार नवाचार की संभावना खोजना।
- विद्यार्थियों से जुड़ना, उनको उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में समझना व उनसे प्रभावी तरीके से बातचीत कर पाना।
- विद्यालय के प्रभावी प्रबंधन व संचालन के संदर्भ में समुदाय की भूमिका को समझना व उसकी भागीदारी की संभावनाएँ खोजना।
- विभिन्न विषयों के शिक्षण की योजना बनाना व कक्षा में उसका क्रियान्वयन करना।
- शिक्षण–प्रक्रिया व बच्चों के आकलन के विभिन्न तरीकों को समझकर स्वयं आकलन के नए तरीके खोजना।
- शिक्षण अधिगम परिस्थिति में तकनीकी को पहचानना, विकसित करना एवं आवश्यकतानुरूप प्रयोग करना।
- विद्यालय सम्बन्धी समस्त कार्य कर पाने की समझ व कौशल विकसित करना, ताकि वह समस्या व चुनौती को पहचानकर उन्हें हल कर पाने के प्रयास कर सकें।
- विद्यालय में अपने अनुभवों व शिक्षण–प्रक्रिया पर मनन करना तथा एक शिक्षक के लिए स्वयं मनन करने की महत्ता को समझना।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के संदर्भ में बहुस्तरीय शिक्षण का अभ्यास करना।

करणीय कार्य

उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नांकित कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

1. **विद्यालय की सम्पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन**

   इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यालय की सामाजिक–ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समुदाय का विद्यालय के साथ संबंध एवं अन्य जानकारी एकत्रित कर उसकी समालोचनात्मक विवेचना करना।

2. **विद्यालय अभिलेखों का अवलोकन तथा संधारण**

   विद्यालय के विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन करना एवं उनकी प्रविष्टियों को दर्ज करने के तरीके सीखना।

3. **शिक्षण कार्य का अवलोकन**

   नियमित शिक्षण कार्य के अवलोकन के आधार पर कक्षा को समाजशास्त्रीय तथा शिक्षणशास्त्रीय इकाई के रूप में समझना।

शिक्षक–विद्यार्थियों व विद्यार्थियों के परस्पर संप्रेषण व सम्बन्धों को समझ कर उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करना। सहपाठियों द्वारा पढ़ाते समय शिक्षण कार्य का अवलोकन कर विश्लेषण करना।

4. उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों (एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई.आर.टी) तथा अन्य स्रोत सामग्री का समालोचनात्मक विश्लेषण करना

इसमें पाठ्यपुस्तकों एवं उपलब्ध बाल साहित्य, भाषायी खेल, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों आदि का समालोचनात्मक विश्लेषण किया जाएगा।

5. स्रोत सामग्री का सूचीकरण एवं विकास करना

विद्यालय तथा समुदाय की स्रोत सामग्री को पहचान कर उसे सूचीबद्ध करना एवं उसके कक्षा–कक्ष में प्रयोग की संभावनाएँ खोजना। सामुदायिक स्रोत सामग्री में जल स्रोत, वनस्पति, स्थानीय ऐतिहासिक स्थान, लोक संस्कृति, इतिहास, खेल, व्यवसाय, लोकगीत आदि हो सकते हैं। आवश्यकतानुसार स्रोत सामग्री का प्रयोग एवं उसको पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाना भी इसमें सम्मिलित है।

6. अधिगम केन्द्रों का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करना

विद्यार्थी–शिक्षक किसी अधिगम केन्द्र (जहाँ कुछ सीखा जा सकता हो); जैसे– सुसंचालित विद्यालय, संग्रहालय, उद्यान, वेधशाला, तारामण्डल, लोककला केन्द्र, विज्ञान केन्द्र, आदि का भ्रमण कर अपने प्रेक्षणों के आधार परं रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट का उपयोग स्रोत सामग्री के विकास में भी होगा।

7. बच्चों को समझना

विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत एवं अन्य गतिविधियाँ कर उन्हें जानने व समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने का भी प्रयास करेंगे।

8. शिक्षण अधिगम योजना तैयार करना

विद्यार्थी–शिक्षक विषयवार समग्र शिक्षण योजना बनाने के बाद दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे। समग्र शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रति विषय पढाए जाने वाले सभी पाठों की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी है। इसका प्रारूप–1, विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका पृष्ठसंख्या–40 पर दिया गया है। समग्र शिक्षण योजना के आधार पर दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे जिसका प्रारूप–2 विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका, पृष्ठ संख्या–41 पर दिया गया है। योजना तैयार करते समय बहुस्तरीय शिक्षण को आवश्यकतानुसार स्थान दें, ताकि सभी विद्यार्थियों का सीखना सुनिश्चित हो सकें। शिक्षण योजना निर्माण में विषयवस्तु का विश्लेषण, ज्ञान सृजन के लिए शिक्षाशास्त्रीय पद्धतियों के आधार पर क्रियाकलापों / गतिविधियों का चयन करें।

9. संकल्पना मानचित्रण

संकल्पना मानचित्रण एक ऐसी विद्या है जिसमें किसी विषयवस्तु की मुख्य बिन्दुओं के आपसी सम्बन्धों को स्पष्टता के साथ दर्शाया जाता है। इसमें मुख्य संकल्पना में निहित विचारों सिद्वान्तों व अवधारणाओं का तार्किक चित्रण होता है

संकल्पना मानचित्रण में शिक्षक विषयवस्तु की मुख्य संकल्पना से सम्बन्धित ज्ञान, जानकारियों एवं समझ को व्यवस्थित रूप से दर्शाता है इसमें सभी विद्यार्थियों की समझ व पूर्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए उपइकाइयों का निर्धारण किया जाता है। जिससे इसके आधार पर बनाई गयी शिक्षण योजना में सभी विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध हो सकें।

किसी विषयवस्तु पर आधारित संकल्पना मानचित्र को बनाने से शिक्षक न केवल उसकी समग्रता को समझता है बल्कि चित्रित विषयवस्तु उसके मस्तिष्क में अधिक स्थायी रहती है।

संकल्पना मानाचित्र को दर्शाने हेतु फ्लोचार्ट, डायग्राम, पारस्परिक अन्तर्निर्भरता को दर्शाते हुए रेखाचित्र या गोलो का प्रयोग किया जा सकता है। उस चित्र में पाठ्यवस्तुओं के सभी बिन्दुओं व उपबिन्दुओं को ऊर्ध्वाकार (Vertical) या क्षैतिज (Horizontal) शाखाओं से भी दर्शाया जा सकता है। पाठ्यवस्तु की प्रकृति के अनुसार संकल्पना मानचित्र बनाया जा सकता है।

9. विद्यार्थियों के साथ अंत: क्रिया

शिक्षण योजना बनाने के बाद विद्याथी–शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ अंतःक्रिया कर 40 दिवसीय शिक्षण कार्य करेंगे।

10. समुदाय के साथ संवाद

विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के माता–पिता, अभिभावकों एवं समुदाय के साथ मिलकर विद्यालय व बच्चों को समझने का प्रयास करेंगे।

11. विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता

विद्यार्थी–शिक्षक विद्यालय की प्रार्थना.सभा, खेलकूद, स्काउटिंग, विज्ञान–क्लब, स्टाफ–क्लब, ईको–क्लब, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, विज्ञान मेला, पुस्तकालय की देखभाल, उत्सव, पर्व एवं जयन्तियाँ, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि गतिविधियों में भाग लेंगे।

12. बच्चों का मूल्यांकन

विद्याथी–शिक्षक कक्षा में बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे व उसका रिकॉर्ड संधारित करना सीखेंगे।

13. समावेशी शिक्षा के लिए कार्यनीति अपनाना

विद्यार्थी–शिक्षक विद्यार्थियों की विविधता तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को पहचान कर तदनुसार कार्यनीति अपनाएँगे।

14. केस स्टडी

किसी एक बच्चे का चयन कर उसके बारे में स्वयं, उसके साथियों, शिक्षकों, माता–पिता, पड़ोसियों, मित्रों आदि से बातचीत के आधार पर अध्ययन करेंगे।

15. मननशील रिपोर्ट (Reflective Journal)

विद्यार्थी–शिक्षक अपने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के आधार पर अपने अनुभवों को एक रिपोर्ट के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार का अनुभव लेखन उन्हें अपनी अवधारणाओं व अनुभवों पर मनन करने का अवसर देता है। वे अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं व वर्तमान में उभरी धारणाओं के द्वन्द्व से उभरकर किसी समस्या का सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अनुभव में विद्यालय के शैक्षणिक व सहशैक्षणिक पहलुओं, संसाधनों, परिवेशगत प्रभावों, सामुदायिक पक्ष आदि को आधार बनाया जा सकता है तथा अन्य कई पक्षों को भी शामिल किया जा सकता है जो एक विद्यालय विशेष में एक विशिष्ट पहलू है। इस प्रकार के लेखन में निष्पक्षता, मौलिकता व तार्किकता का निर्वहन होना चाहिए। विद्यार्थी–शिक्षक इन्हें विवरणात्मक रूप में लिखने के स्थान पर परिस्थितियों का विश्लेषण स्वयं के मनन के आधार पर करेंगे।

16. क्रियात्मक-अनुसंधान

क्रियात्मक–अनुसंधान में किसी शैक्षणिक समस्या के विभिन्न पक्षों को किसी परिकल्पना के माध्यम से जाँचा जाता है। विद्यालय या कक्षा–कक्ष से जुड़ी किसी एक समस्या का चयन कर विद्यार्थी–शिक्षक उससे सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करेंगे। सामूहिक चर्चा करके शोध उद्देश्य व परिकल्पना का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात् उपयुक्त शोध विधि व उपकरणों का निर्धारण करके आँकड़ों या दत्तों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालेंगे तथा उसके शैक्षिक निहितार्थ प्रस्तुत करेंगे।

17. सर्वे

सर्वे करना अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षक शिक्षा से जुड़े किसी घटक या शैक्षिक समस्या का सर्वे कर उसका विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण दे सकते हैं तथा अपने उपयोगी व महत्त्वपूर्ण सुझावों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के सर्वे में उपयुक्त उपकरण का चुनाव, निष्पक्षता व वस्तुनिष्ठता से सर्वे को अधिकाधिक वैध व सार्थक बनाया जा सकता है। यह सर्वे विद्यालय के आस–पड़ोस के परिवारों, संचालित संस्थाओं (यथा चौपाल, अस्पताल, कॉलेज, विद्यालय, पंचायत, प्रशासनिक शिक्षा संस्थान) के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों व आयामों को समझने में मदद करेगा तथा सर्वे कर्त्ता उन तथ्यों का शैक्षिक निहितार्थ भी जान सकेगा।

18. प्रोफाइल

विद्यालय अनुभव के संपूर्ण कार्यक्रम में विद्यार्थी से संबंधित प्रत्येक जानकारी का अभिलेख एक फाइल में संधारित किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है –

- विद्यार्थियों की संख्या (लडके व लड़कियों की संख्या अलग–अलग)
- विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि।
- विद्यार्थियों द्वारा किए गए सभी कार्यों का अभिलेख
- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को देखते हुए समूहों की संख्या एवं उनमें विद्यार्थियों की संख्या।
- अपने शिक्षण विषय में विद्यार्थियों की आधारभूत अवधारणाओं की समझ।
- उन विद्यार्थियों की पहचान जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

19. प्रोजेक्ट

शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट किसी विद्यार्थी–शिक्षक का किसी एक विषयवस्तु के संदर्भ में एक व्यापक व ज्ञान परक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्राथमिक व द्वितीयक दत्त (Data), तथ्य तथा विषयवस्तु एकत्रीकरण की प्रक्रिया जितनी व्यापक, व्यवस्थित व प्रासंगिक होगी, प्रोजेक्ट उतना ही रोचक, ज्ञानवर्धक व अनुभवजन्य रहेगा। प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम की महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुओं, सहशैक्षणिक गतिविधियों या शैक्षणिक समस्याओं से सम्बद्ध हो सकता है। प्रोजेक्ट को तथ्यपरक, अनुसंधानात्मक व रोचक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

20. पाठ्यपुस्तक विश्लेषण

प्रथम वर्ष में कक्षा 3 से 5 एवं द्वितीय वर्ष में कक्षा 6 से 8 के किसी भी विषय की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा।

- पाठ्यक्रम के अनुसार
- विद्यार्थियों की आयु एवं स्तर के अनुसार
- भाषा की सरलता एवं स्पष्टता
- विषयवस्तु में रोचकता
- विषयवस्तु में प्रासंगिकता
- विविधता का समावेश
- स्थानीय परिवेश एवं अनुभवों को स्थान
- चित्र का समावेश एवं स्पष्टता
- गतिविधियों का समावेश
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
- पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों की उपयुक्तता

21. विषयवस्तु विश्लेषण

विषयवस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक किसी भी विषयवस्तु का संपूर्ण अध्ययन कर उसके सभी घटकों, तथ्यों व विचारों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करता है। इस विश्लेषण प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि विद्यार्थी–शिक्षक छात्र/छात्राओं का स्तर, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनकी ज्ञानार्जन की गति, स्वयं की शिक्षण क्षमताओं व उपलब्ध शिक्षण संसाधनों को भी दृष्टिगत रखें।

विषयवस्तु विश्लेषण के पश्चात एक शिक्षक के लिए यह सरल हो जाता है कि उसे किन मुख्य बिन्दुओं को अपने पाठ प्रस्तुतीकरण के आधार में रखना है। विषयवस्तु विश्लेषण से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि विश्लेषित विषयवस्तु को किस प्रकार, किस क्रम से तथा किस व्यवस्था से पढ़ाना है।

किसी विषयवस्तु विश्लेषण के सबसे छोटे घटक में शब्द भी हो सकते हैं, विषयवस्तु की थीम, वर्णित पात्र, अवधारणा, गद्यांश, भाषागत संरचना, रोचकता आदि सभी बिन्दु हो सकते हैं।

विषयवस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य विषयवस्तु को सरल एवं ग्राह्य बनाना है तथा विषयवस्तु से जुड़े तथ्यों में संपूर्णता एवं क्रमबद्धता लाना है।

प्रथम वर्ष

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	संभावित माह/कार्यदिवस
1.	अभ्यास हेतु डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.). संस्थान द्वारा विद्यालयों का चयन।	जुलाई
2.	चयनित समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधानों एवं एक–एक शिक्षकों के साथ चर्चा (दो दिवसीय उन्मुखीकरण)	अगस्त
3.	10 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के लिए विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान में तैयारी	सितम्बर (2 दिन)
4.	चयनित विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा विद्यालय अवलोकन।	सितम्बर (10 दिन)
5.	40 दिवसीय शिक्षण अनुभव के लिए विद्यार्थी–शिक्षक की डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान में तैयारी	दिसम्बर (5 दिन)
6.	चयनित विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा शिक्षण अनुभव	जनवरी (40 दिन)
7.	डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान मे व्याख्याताओं से सम्पर्क एवं परामर्श	जनवरी, फरवरी (3 दिन)
8.	विद्यार्थी–शिक्षक का मूल्यांकन	सतत

मूल्यांकन विवरण योजना – प्रथम वर्ष

क्र. सं.	गतिविधियों का विवरण	आन्तरिक मूल्यांकन			बाह्य मूल्यांकन		योग
		विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा	डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान द्वारा	डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान द्वारा मौखिक	बाह्य परीक्षक द्वारा मौखिक	बाह्य परीक्षक द्वारा क्रियात्मक पाठ	
1.	10 दिवसीय विद्यालय अवलोकन ✓	10	10	-	-	-	20
2.	A) 40 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम ✓	40	50	-			90
	B) सर्वे/प्रोजेक्ट/केस स्टडी (कोई एक) ✓		-	-	15	-	15
3.	रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन–दैनिक पाठ योजना डायरी, कक्षा 3 से 5 की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण, अभिलेखों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल(प्रति रिकार्ड 4 अंक)		10	10			20
4.	समालोचना पाठ – 5 विषय (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण विषय प्रति विषय 10 अंक एवं कला शिक्षा 5 अंक)	-	45	-	-	-	45
5.	1 क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (फाइनल लेसन) ✓	-	-	-	10	50	60
6.	योग	50	115	10	25	50	250
	प्रातिशत भार	70%			30%		100%

1. आंतरिक मूल्यांकन

(अ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षकों द्वारा - 50 अंक (अंक विभाजन निम्नानुसार होगा)

1. 10 दिवसीय विद्यालय–अवलोकन के दौरान विद्यार्थी–शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर (मूल्यांकन प्रपत्र संख्या 1 अ के अनुसार)– 10 अंक
2. 40 दिवसीय विद्यालय–अनुभव कार्यक्रम के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर
   (मूल्यांकन प्रपत्र संख्या 2 के आधार पर) – 40 अंक

(ब) डाइट / B.S.T.C. (D.El.Ed.) संस्थान द्वारा मूल्यांकन - 125 अंक (अंक विभाजन निम्नानुसार होगा)

(1) 10 दिवसीय विद्यालय अवलोकन कार्य के आधार पर – 10 अंक (प्रपत्र 1 – 8 के आधार पर)

(2) 40 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान किए गए कार्य के आधार पर मूल्यांकन

प्रपत्र 3 अ के बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 के अनुसार – 50 अंक

(3) रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन – दैनिक पाठ–योजना डायरी, कक्षा 3 से 5 की एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण, अभिलेखों का संधारण, मननशील रिपोर्ट, प्रोफाईल । – 20 अंक (प्रति रिकार्ड 4 अंक, 2 लिखित एवं 2 मौखिक)

(4) समालोचना पाठ (5 विशय) – 45 अंक

(हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रति विषय 10 अंक एवं कला शिक्षा हेतु 5 अंक)

2. बाह्य मूल्यांकन - 75 अंक (अंक विभाजन निम्नानुसार होगा)

1. क्रियात्मक वार्षिक पाठ परीक्षा – 50 अंक

(क्रियात्मक वार्षिक पाठ परीक्षा हेतु विद्यार्थी–शिक्षक को दो पाठ–योजनाए बनानी होगी जिसमें से एक कक्षा 1 या 2 के लिए तथा दूसरी कक्षा 3, 4, 5 में से किसी एक के लिए होगी।)

2. मौखिक परीक्षा – 25 अंक

(कक्षा शिक्षण – 10 अंक एवं सर्वे / प्रोजेक्ट / केसस्टडी (कोई एक) – 15 अंक)

मूल्यांकन हेतु निर्देश

- विद्यालय अनुभव की प्रत्येक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य है।
- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में पृथक्–पृथक् न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगा।
- 40 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के पश्चात् 6 दिवस समालोचना पाठ हेतु निर्धारित हैं।
- आंतरिक अंकों के मूल्यांकन का विवरण मूल्यांकन प्रपत्र संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार होगा।
- बाह्य मूल्यांकन के लिए दो बाह्य परीक्षक एवं डाइट (D.El.Ed.) प्रधानाचार्य सहित तीन सदस्यों का बोर्ड होगा।
- क्रियात्मक बाह्य परीक्षा (वार्षिक पाठ) में क्रियात्मक पाठ और मौखिक परीक्षा हेतु 50 विद्यार्थी–शिक्षकों के लिए दो दिवस निर्धारित हैं।
- आवंटित विद्यालय में विद्यार्थी–शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के प्रति विषय 12 पाठ एवं कला शिक्षा के 6 पाठ का शिक्षण करेंगे। यथासंभव विद्यार्थी–शिक्षक को सभी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में शिक्षण का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलें।
- विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा ICT का उपयोग यथास्थान / यथासंभव प्रत्येक विषय में किया जाना अपेक्षित है।
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा खेल सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के आयोजन, संचालन एवं अभिलेख संधारण में विद्यार्थी–शिक्षक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

अवलोकन प्रपत्र

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक, अभ्यास परक और अनुभव आधारित बनाने के प्रयास के तहत प्रत्येक स्तर पर हुए अनुभवों एवं क्रिया–कलापों की समुचित जानकारी का व्यवस्थित मूल्याकंन करने की दृष्टि से विभिन्न अवलोकन प्रपत्र विकसित किए गए हैं, जो विद्यार्थी–शिक्षकों द्वारा, शिक्षक–प्रशिक्षकों द्वारा और संस्थाप्रधान / विद्यालय शिक्षकों द्वारा भरे जाएँगे।

इनकी पूर्ति करने से विद्यार्थी–शिक्षकों के अवलोकन स्तर का विस्तार होगा। उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा, और वे अनेक छोटी–छोटी समस्याओं को भी देखना सीख सकेंगे। साथ ही यह शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी तीनों के उन्नयन में सहायक होगा। यहाँ अवलोकन प्रश्नों के प्रारूप दिये गये हैं। विद्यार्थी–शिक्षक इनमें सम्बन्धित जानकारियों / सूचनाओं को लिखने के लिए अलग से प्रपत्र बनाएँ जिनमें आवश्यक जानकारियों / सूचनाओं के लिए पर्याप्त स्थान हो।

1. प्रपत्र–1 विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट
2. प्रपत्र–2 (दस दिवसीय) कक्षा अवलोकन रिपोर्ट
3. प्रपत्र–3 (दस दिवसीय) विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट
4. प्रपत्र–4 (दस दिवसीय) विद्यार्थियों के समूह से बातचीत
5. प्रपत्र–5 (दस दिवसीय) संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन
6. प्रपत्र–6 (दस दिवसीय) गाँव / शहर की सामान्य जानकारी
7. प्रपत्र–7 (दस दिवसीय) विद्यालय एवं समुदाय का सम्बन्ध
8. प्रपत्र–8 (दस दिवसीय) विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट
9. प्रपत्र–9 (चालीस दिवसीय) खेल संबंधी जानकारी
10. प्रपत्र–10 (चालीस दिवसीय) कक्षा अवलोकन प्रपत्र (सहयोगी के रूप में)
11. प्रपत्र–11 (चालीस दिवसीय) संस्थाप्रधान / शिक्षक के साथ 10 दिवसीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट
12. प्रारूप–1 समग्र शिक्षण योजना
13. प्रारूप–2 दैनिक शिक्षण योजना
14. मूल्यांकन प्रपत्र–1 अ,ब
15. मूल्यांकन प्रपत्र– 2
16. मूल्यांकन प्रपत्र–3 अ,ब
17. प्रस्तावित समय विभाग चक्र

नोट - विस्तृत जानकारी हेतु बी.एस.टी.सी. पाठ्यचर्या के साथ विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका पृथक से निर्मित की गयी है। उपर्युक्त उल्लेखित अवलोकन प्रपत्र और मूल्यांकन प्रपत्र विद्यालय अनुभव मार्गदर्शिका से साथ संलग्न है।

भाग – (ख)
पाठ्यक्रम

बाल अध्ययन

बच्चे और बचपन

कुल अंक–100

आंतरिक मूल्यांकन–30

बाह्य मूल्यांकन–70

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

बच्चों व बचपन के बारे में हमारे समाज में कई धारणाएँ हैं जो उनके प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं जैसे बच्चे भगवान के रूप हैं, या बच्चे गीली मिट्टी की तरह हैं जिन्हें मनचाहा रूप दे सकते हैं, बच्चे भोले और कमजोर होते हैं, बच्चे नन्हे पौधे की तरह होते हैं, जिनकी रक्षा और परवरिश हमें करनी हैं, बच्चे आंगन के फूल हैं.....आदि.आदि। दूसरे नजरिये से देखें तो बच्चे सूझ–बूझ वाले, अपनी भलाई समझने वाले, खुद के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम, निडर, साहसी, जिज्ञासु, अनवरत परिश्रमी, असीम ऊर्जा वाले, स्वाभिमानी आदि लगते हैं। इनके पीछे क्या वास्तविकता है, इन धारणाओं का बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन प्रश्नों पर विचार–विमर्श करने का प्रयास है।

दरअसल बचपन की धारणाओं का एक सामाजिक व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। जिन विचारों के चलते बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित कानून एवं कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं, वे आधुनिक समाज की देन है। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वे एक मिश्रित समाज है (जिसमें साधन संपन्न समाज के साथ साथ पारम्परिक खेती, दस्तकारी, घुमन्तु एवं वंचित वर्ग आदि भी शामिल हैं) जहाँ बचपन के बारे में कई अन्य धारणाएँ भी प्रचलन में हैं जिनसे हमें जूझना होगा।

सभी बच्चों का बचपन एक समान नहीं होता है जैसे भेड़पालकों के बच्चे, आदिवासी बच्चे, मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे, शहर के फुटपाथ और झुग्गियों के बच्चे, किसानों के बच्चे, सुविधा संपन्न एवं अभावग्रस्त वर्ग के बच्चे। क्या इनका बचपन एक समान हो सकता है? क्या किसी गांव की लड़की और लड़के का बचपन एक सा होता है?, क्या सवर्ण और दलित वर्ग के बच्चों का बचपन एक जैसा होता है? क्या परिवार के संरक्षण में पल रहे बच्चे और अनाथालयों व रेलवे प्लेटफार्म पर पल रहे बच्चों का बचपन एक सा हो सकता है? ये सब बच्चे जब विद्यालय आते हैं, वे किस तरह के अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं? उनकी आवश्यकताएँ और विद्यालय से उनकी क्या अपेक्षाएँ होंगी? वास्तव में बचपन पर सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव है इसको समझना भी विषयान्तर्गत आवश्यक होगा। बाल अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को विकास के अलग–अलग चरणों के संदर्भ में देखने के साथ साथ उन बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में भी देख सकेंगे।

हम सभी सहमत हैं कि बचपन एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक क्षमता और व्यक्तित्व का विकास बहुत तेज होता है। लेकिन विकास क्या है, क्या वह केवल बचपन तक सीमित है, क्या उसकी कुछ विशिष्ट अवस्थाओं को पहचाना जा सकता है? यह विकास किन बातों पर निर्भर है, क्या हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? छः से चौदह साल के बच्चे जो विद्यालय में पढ़ने आते हैं वे किन–किन मानसिक और शारीरिक विकास की दशाओं से गुजर रहे होते हैं? इन सभी का भी इस विषयान्तर्गत अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य

- बच्चों व बचपन के बारे में प्रचलित आम धारणाओं की समीक्षा करना।
- बच्चों के विकास के शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास के पहलूओं को समझना।
- बच्चों को वर्तमान समाज के मूल्यों के अनुरूप कैसे अनुकूलित किया जाता है (समाजीकरण की प्रक्रिया) इस बात को समझना व समालोचना करना।
- बच्चों के विकास के अलग–अलग पड़ाव क्या है और उस दौरान उनकी आवश्यकताएँ एवं कौशल कैसे बदलती हैं, इस बात को समझना।
- राजस्थान के विभिन्न समुदायों के बच्चों के जीवन को समझना।
- बच्चों के बारे में जानने व उनको समझने के विशिष्ट तरीकों को समझना और उनमें कुशलता प्राप्त करना।

इकाईवार विवरण

इकाई-1. बचपन **अंक-5**

स्वयं के बचपन के अनुभव : स्मरण एवं उनका विश्लेषण, बच्चों की छवि पर विमर्श : बाल.साहित्य के संदर्भ में, बच्चों के साथ काम करने वाले चिन्तकों के विचारों से परिचय : गिजूभाई, जॉन हाल्ट, ए.एस. नील, विभिन्न समुदायों के बच्चों का बचपन।

इकाई-2. बचपन की संकल्पना **अंक-10**

बचपन की संकल्पना – ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं समय के साथ आए परिवर्तनों की समझ, आज के संदर्भ में बचपन को आकार देनेवाले प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण, बाल अधिकारों की समझ – संकल्पना का विकास व आज के परिदृश्य मे बाल अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान में समेकित बाल संरक्षण योजना की कार्यरत संरचनाएँ, बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित समितियाँ।

इकाई-3. बाल विकास के परिप्रेक्ष्य **अंक-10**

बाल विकास की अवधारणा – विकास के विभिन्न आयाम, विकास के विभिन्न सिद्धांत,विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, विकास की विभिन्न अवस्थाएँ, विकास के संदर्भ में विभिन्न मत, परिवेश, पोषण एवं लालन–पालन (माता–पिता एवं संरक्षक निरंतर एवं चरणबद्ध विकास,प्रारम्भिक एवं परवर्ती (बाद के) अनुभवों का प्रभाव।

इकाई-4. शारीरिक विकास **अंक-10**

वृद्धि एवं परिपक्वता – वृद्धि से आशय,परिपक्वता से आशय, गामक विकास – गामक विकास से आशय,गामक विकास की विशेषताएँ, गामक कौशलों का विकास, शारीरिक विकास – शारीरिक विकास के प्रमुख आधार,शारीरिक विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।

इकाई-5. नैतिक एवं संवेगात्मक विकास **अंक-12**

भावनाओं एवं संवेगों का विकास – संवेग क्या हैं?,प्रमुख संवेग,संवेग नियंत्रण,संवेगों के विकास में कारकों की भूमिका,संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण एवं प्रक्रिया,संवेगात्मक विकास की अवस्थाएँ, लगाव का सिद्धांत– लगाव से आशय,जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत,लगाव के घटक,लगाव की विशेषताएँ, व्यक्तित्व – आत्म प्रत्यय/स्वयं,व्यक्तित्व विकास के निर्धारक,ऐरिक्सन का सिद्धांत, नैतिक विकास – पियाजे का सिद्धांत,कोह्लबर्ग का सिद्धांत,कैरोल गिलिगन की विवेचना।

इकाई-6. समाजीकरण **अंक-13**

समाजीकरण का आशय – समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक,समाजीकरण का पारिस्थितिक सिद्धांत, समाजीकरण की विभिन्न संस्थाएँ – परिवार, विद्यालय, समुदाय, मित्रमण्डली, शिक्षक, मीडिया, स्पर्धा, सहयोग और आक्रामकता, जेण्डर की समझ – जेण्डर आधारित समाजीकरण की प्रक्रियाए,जेण्डर का विकास व प्रभावी कारक, समाजीकरण का अस्मिता के विकास पर प्रभाव – लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि, विभिन्न परिस्थितियों में बचपन – अनाथालयों में,फुटपाथों पर, झुग्गी–झोंपडी में, कामकाजी बच्चे आदि, बच्चों पर विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव – हिंसा, नशाखोरी, बाल प्रताड़ना, पारिवारिक मनमुटाव आदि, शिक्षक की अपेक्षाओं का विद्यार्थियों पर प्रभाव।

इकाई-7. बच्चों के अध्ययन के तरीके **अंक-10**

बच्चों के अध्ययन के तरीके – आवश्यकता एवं महत्त्व, अवलोकन विधि – अवलोकन के प्रकार,अवलोकन के चरण,अवलोकन की सीमाएँ, साक्षात्कार विधि – साक्षात्कार के प्रकार ,साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण,जिन पियाजे की नैदानिक साक्षात्कार विधि (क्लीनिकल विधि), साक्षात्कार की सीमाएँ, विश्लेषणात्मक/चितंनात्मक प्रतिक्रिया लेखन (रिलेक्टिव जर्नल) – विश्लेषणात्मक/चितंनात्मक लेखन की प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण बिन्दु,चिंतनशील/विश्लेषणात्मक चक्र, एनेक्डोटल/उपाख्यानक अभिलेख – एनेक्डोटल अभिलेखों के प्रकार, एनेक्डोटल अभिलेखों के प्रारूप।

शैक्षणिक अध्ययन

शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या

कुल अंक–100

आंतरिक मूल्यांकन–30

बाह्य मूल्यांकन –70

कुल कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर एकरूपता नहीं हो सकती। सामाजिक पृष्ठभूमि तथा दार्शनिक विचारों के चलते इसमें कई तरह की विभिन्नताएँ देखी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में हर शिक्षक को अपनी विशिष्ट सोच और शैक्षणिक दर्शन का निर्माण करना होता हैं, और साथ ही अपने विद्यालय और समाज में शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर जो विभिन्न मत हैं, उनसे संवाद की तैयारी भी रखनी होती है। इस विषय के अध्ययन से अपेक्षा है कि हमारे भावी विद्यार्थी–शिक्षक अपने उद्देश्य सोच समझकर और समग्रता के साथ निर्धारित कर पाएँगे।

वास्तव में यह किसी भी शिक्षक के लिए आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन इसके लिए विद्यार्थी–शिक्षकों को गहन रूप से तैयार करने की आवश्यकता है जिससे वे शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों तथा जीवन मूल्यों पर चिन्तन कर सकें। यह तैयारी तीन तरह के अनुभवों के माध्यम से की जाएगी। पहला– दर्शन शास्त्र और उसके बुनियादी पक्ष व तरीकों से परिचय कराकर। दूसरा– भारतीय व पाश्चात्य दर्शन में जीवन के उद्देश्यों के बारे में प्रचलित धारणाओं की विवेचना करके, आधुनिक विश्व तथा भारत के चिन्तकों के शिक्षा–दर्शन की तुलनात्मक समीक्षा करके। तीसरा– स्वतंत्र भारत के विभिन्न शिक्षा संबंधी नीतिगत दस्तावेजों एवं पाठ्यचर्या दस्तावेजों में निहित शिक्षा दर्शन व शिक्षा के उद्देश्यों को पहचानने का प्रयास किया जाएगा।

इस विषय के अध्ययन का उद्देश्य दर्शन के बारे में विचारों को केवल जानना मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं के जीवन दर्शन के बारे में विचार करना तथा उसे परिष्कृत करना है। इसके लिए अपेक्षा है कि दार्शनिक सवालों पर कक्षा में वाद–विवाद हों, चर्चाएँ हों और विद्यार्थी–शिक्षकों को स्वयं के विचारों को व्यक्त करने का अवसर हो। इनके द्वारा वे मतभेदों व वैचारिक विभिन्नता से जूझने का भी अभ्यास कर पाएँगे।

ज्ञान क्या है और इसका हस्तांतरण कैसे हो सकता है, इसको लेकर कई तरह के विचार हो सकते हैं। बच्चों को किस तरह से शिक्षित करें, यह काफी हद तक ज्ञान के बारे में हमारी समझ द्वारा निर्धारित होता है। जैसे क्या ज्ञान तयशुदा व पक्का होता है या ज्ञान वास्तव में केवल समझने का प्रयास है जो सतत परिवर्तनशील है, या क्या ज्ञान केवल हमारे सामाजिक मस्तिष्क की उपज है जिसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है? क्या ज्ञान एक ही प्रकार का होता है या कई प्रकार का ? जब हम शिक्षण को विभिन्न विषयों में बांटते हैं जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला आदि। तो क्या हम यह मानते हैं कि वे ज्ञान के विभिन्न प्रकार हैं ?

ज्ञान और कुशलता के बीच क्या सम्बन्ध है? मूल्य क्या है ? हम बच्चों में किन मूल्यों को विकसित करें? मूल्य कैसे विकसित होते हैं? ये विषय भी प्रायः सभी शिक्षकों के समक्ष उठते रहते हैं।

क्या ज्ञान विशेषज्ञों व पहले की पीढ़ियों द्वारा अर्जित वैचारिक पूंजी है जिसे बच्चों तक पहुँचाना है; क्या ज्ञान निश्चित जानकारियों का कोई समूह है जिसे दूसरे के मस्तिष्क में बिठाना है; ज्ञान, जानकारी और समझ के बीच क्या सम्बन्ध है, इन प्रश्नों से हर शिक्षक को जूझना होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं हमारा ध्येय क्या है – क्या हम उन्हें कुछ निश्चित तथ्यों एवं सूचनाओं को याद करवाना चाहते हैं या उस विषय के प्रति जिज्ञासु बनाना चाहते हैं या उस विषय से सम्बन्धित समझ उनमें विकसित करने के लिए कुछ अनुभव देना चाहते हैं....? क्या ऐसे अनुभवों से वे सीख जाएँगे ? हम कैसे पता करें कि बच्चे उनको सीख गये हैं या नहीं ? बच्चों का आकलन कैसे हो ? इन सभी प्रश्नों का भी इस विषयान्तर्गत अध्ययन किया जाएगा।

उद्देश्य

- शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों के बारे में अपने विचारों को आत्म चिन्तन, पठन और विमर्श के द्वारा परिष्कृत करना।
- शिक्षा के उद्देश्यों में जो विभिन्नताएँ और मतभेद हैं, उनको पहचानना और सुलझाने के लोकतांत्रिक तरीकों के बारे में समझ बनाना।
- दर्शन शास्त्र के मूल प्रश्नों एवं सोच के तरीकों को समझना।
- कुछ महत्त्वपूर्ण पाश्चात्य एवं भारतीय चिन्तकों के शिक्षा दर्शन से परिचित होना।
- भारतीय शिक्षा नीति संबंधी दस्तावेजों में निहित शिक्षा दर्शन को समझना।
- ज्ञान के स्वरूप को समझना।
- पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के मूलभूत तत्त्वों पर समझ बनाना।

इकाईवार विवरण

इकाई - 1 शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य — अंक-08

शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्यों से परिचय – शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की आवश्यकता क्यों? दर्शन का अर्थ एवं संकल्पना, शिक्षा और दर्शन में सम्बन्ध

ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप एवं शिक्षा से संबंध – ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, ज्ञान की कसौटियाँ, वास्तविक ज्ञान एवं शिक्षा में सम्बन्ध

शिक्षा दर्शन के कुछ विचारणीय बिन्दु/पक्ष – विभिन्न दार्शनिक मतों का शिक्षा पर प्रभाव

इकाई-2 विविध परम्पराओं में शिक्षा की अवधारणा — अंक-14

वैदिक एवं उपनिषदीय परम्पराएँ – वैदिक परम्परा, उपनिषदीय परम्परा

बौद्ध एवं जैन परम्पराएँ – बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा

ईसाई, इस्लामी व सूफी परम्पराएँ – ईसाई परम्परा, इस्लामिक परम्परा एवं सूफी परम्परा

प्राचीन यूनानी परम्परा (सुकरात, प्लेटो व अरस्तू) – सुकरात का शिक्षा दर्शन (470 ई.पू. से 399 ई.पू), प्लेटो का शैक्षिक दर्शन (428 ई.पू. से 348 ई.पू.),अरस्तू की शैक्षिक मान्यता (348–322 ई.पू.)

इकाई-3 समसामयिक शैक्षिक चिंतन-1 — अंक-13

समग्र (इंटीग्रल) व फ्री प्रोग्रेस – अरविन्द घोष एवं मीरा अल्फ़सा – शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक का स्थान

प्रकृति, क़ला, जीवन व शिक्षा का संबंध – रवीन्द्रनाथ टैगोर – शिक्षा दर्शन, पाठ्यक्रम, विद्यालय, शिक्षक एवं अनुशासन

श्रम, स्वावलंबन, बुनियादी शिक्षा व नई तालीम – महात्मा गाँधी – शिक्षा दर्शन, स्वावलंबन व शारीरिक श्रम, शिक्षक, शिक्षा का माध्यम : मातृभाषा, बुनियादी शिक्षा/नई तालीम, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम

दलित शिक्षा : डॉ. भीमराव अम्बेडकर – शिक्षा का दर्शन व स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षक, शिक्षार्थी व अनुशासन

जीवन का तात्पर्य व मौलिक परिवर्तन (ट्रांस्फार्मेशन) – जे. कृष्णमूर्ति – शिक्षा का दर्शन व स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक एवं अनुशासन, विद्यालय

सर्वांगीण शिक्षा – विवेकानन्द – शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षक का स्थान

उन्मुक्त बाल शिक्षाः रूसो – सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम शिक्षण की विधियाँ, शिक्षक एवं शिक्षार्थी

सीखने में अनुभव का समावेश : जॉन डीवी – सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा का स्वरूप, शैक्षिक दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अनुशासन

स्कूल की अवधारणा पर वैकल्पिक नज़रिया : इवान इलिच – सामाजिक परिदृश्य, शैक्षिक दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अनुशासन, विद्यालय

उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र : पाउलो फ्रेरे – सामाजिक परिदृश्य, शैक्षिक दर्शन, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक–शिक्षार्थी संबंध

व्यक्तित्व निर्माण में श्रम और सामूहिकता : मकारेन्को– सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियाँ,शिक्षक एवं शिक्षार्थी

इकाई-5 पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार **अंक-10**

पाठ्यचर्या का अर्थ एवं उसकी व्यापकता – पाठ्यचर्या की अवधारणा, पाठ्यचर्या की प्रक्रिया तथा इसके सोपान,पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलू

शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यचर्या में अन्तर्संबंध

पाठ्यचर्या के निर्धारक तत्त्व – पाठ्यचर्या निर्माण में निहित मूल मान्यताएँ व सिद्धांत, पाठ्यचर्या के आधार

प्रत्यक्ष व परोक्ष पाठ्यचर्या – प्रत्यक्ष/वास्तविक पाठ्यचर्या, छुपी/परोक्ष पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या के विभिन्न स्वरूपों में संबंध, पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक

पाठ्यचर्या निर्धारण के विभिन्न स्तर

इकाई - 6 सीखने व मूल्यांकन के दार्शनिक आधार **अंक-12**

सीखने का तात्पर्य एवं विभिन्न तरीके– सीखने के तात्पर्य का दार्शनिक आधार, सीखने के विभिन्न तरीके

मूल्यांकन, मापन, आकलन की समझ–सीखने के संदर्भ में– मूल्यांकन और मापन की अवधारणा, आकलन (आकलन क्या, किसका, कैसे), आकलन संबंधी सूचनाओं का इस्तेमाल, मूल्यांकन/ आकलन में बदलाव का आधार

आकलन के विभिन्न तरीके – स्व–आकलन, समूह आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, व्यक्तिगत आकलन

बच्चों को किसी कक्षा में नहीं रोके जाने का औचित्य

सामाजिक स्तरीकरण में मूल्यांकन की भूमिका

शिक्षक की जवाबदेही व शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का मूल्यांकन– बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर – शिक्षक की जवाबदेही, शिक्षाव्यवस्था की गुणवत्ता का मूल्यांकन, मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार के प्रमुख क्षेत्र।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा – सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्त्वपूर्ण पदों की अवधारणा– सततता, व्यापकता, आकलन, मूल्यांकन, सी.सी.ई. आवश्यकता एवं महत्त्व, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं उपयुक्त शब्दावली

समसामयिक अध्ययन

भारतीय समाज और शिक्षा

कुल अंक–100

आंतरिक मूल्यांकन–30

बाह्य मूल्यांकन–70

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

यह विषय प्रमुख रूप से भारतीय विद्यालयी शिक्षा के सामाजिक संदर्भ को समझने में मदद करेगा। भारत अनेक जाति, जनजाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोगों का निवास स्थान है। विविध पृष्ठभूमि से जो बच्चे विद्यालय में आते हैं, वे अपने समुदाय का अनुभव व ज्ञान भी साथ लाते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने यह चुनौती बन जाती है कि वह इस सम्पदा का उपयोग किस प्रकार करती है और उन सभी समुदाय के बच्चों को कक्षा में सम्मानजनक स्थान किस हद तक दे पाती है। हमारे समाज में केवल विविधता ही नहीं बल्कि बहुत असमानता, शोषण और भेदभाव व्याप्त है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इसे बदलने में मददगार हो सकती है या फिर इन्हें बनाए रखने का एक साधन मात्र बनकर रह जाएगी ? अगर हमारे शिक्षकों को सामाजिक बदलाव में अपनी भूमिका अदा करनी है तो निश्चय ही उन्हें वर्तमान में व्याप्त सामाजिक विषमताओं और उनके तौर तरीकों को गहनता से समझना होगा।

सांस्कृतिक विभिन्नता तथा जटिल अर्थव्यवस्था वाले समाज में सार्वभौमिक शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है ? क्या सबके लिए एक ही तरह की शिक्षा उपयोगी होगी ? या फिर अलग–अलग श्रेणी या समुदाय के लिए अलग–अलग शिक्षा हो ? ऐसे में हमारा समानता और राष्ट्रीय एकता का आदर्श कैसे प्रभावित होगा ? इन द्वंद्वों के बीच एक शिक्षक व पाठ्यक्रम निर्माता को अपनी राह तय करनी होती है।

हमारा संविधान जो हमारे राष्ट्र की दिशा निर्धारित करता है, उसमें निहित आदर्श हमें सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे शासन तंत्र को इसके लिए निर्देशित करते हैं। एक शिक्षक के लिए इन आदर्शों व उद्देश्यों को समझना बहुत आवश्यक होगा।

हमारे देश के लोक शिक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। स्कूली शिक्षा की व्यवस्था औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुई। यह स्कूली शिक्षा व्यवस्था आज तक हमारे शिक्षा तंत्र में व्याप्त हैं। औपनिवेशिक काल में स्कूली शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय चिंतन, संवैधानिक उद्देश्य, और आधुनिक विकास–इन चारों से परिचित होना तथा उनके आपसी सम्बन्धों के बारे में समझ बनाना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है।

उद्देश्य

- अपने समाज में मौजूदा विभिन्नताओं को समझना तथा उनके महत्त्व को समझते हुए उन्हें शिक्षण में संसाधन के रूप में देखना।
- सामाजिक स्तरीकरण से सम्बन्धित विभिन्न अवधारणाओं व प्रक्रियाओं जैसे विषमता, बहिष्कार, भेदभाव, शोषण आदि को समझना।
- विविधता और स्तरीकरण के संदर्भ में सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्यों को समझना।
- संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में निहित राष्ट्रीय मूल्यों व उद्देश्यों की विवेचना कर पाना।
- आधुनिक भारत के विकास के मुख्य पक्षों को देखते हुए उसमें सार्वजनिक शिक्षा के महत्त्व को समझना।
- पूर्व–आधुनिक भारत में सामान्य शिक्षा व्यवस्था, औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना तथा उसके नीति सम्बन्धित विवाद, और राष्ट्रवादी समालोचना को समझना।
- उपर्युक्त सभी बातों की प्रासंगिकता अपने समाज के संदर्भ में देख पाना और उससे अपने लिए कुछ शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित कर पाना।

इकाईवार विवरण

इकाई-1. भारतीय समाज में विविधता, असमानता व भेदभाव — 15-अंक

समाज में विविधता – (रंग–रूप, संस्कृति, भाषा, धर्म) विविधता का महत्त्व और चुनौती – राजस्थान में विविधता, बचपन में विविधता, विविधता – संसाधन भी और चुनौती भी विविधता, विषमता, भेदभाव और बहिष्कार – अवसर एवं वंचना, बहिष्कार एवं शोषण, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त (मार्क्स और वेबर)– सामाजिक स्तरीकरण के बारे में मार्क्स, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में वेबर

इकाई-2. शिक्षा की चुनौतियाँ - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति — 15-अंक

जाति व्यवस्था और दलित शिक्षा – वर्ण और जाति,जाति व्यवस्था में निरन्तरता एवं परिवर्तन, दलित समुदाय और शिक्षा जनजातीय समुदाय – जनजातीय समुदायों का क्षेत्रीय विस्तार,जनजाति और मुख्यधारा, जनजातीय शिक्षा की समस्याएँ और योजनाएँ।

इकाई 3. जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग एवं अल्पसंख्यक - शिक्षा की चुनौती — 15-अंक

जेंडर और पितृसत्ता की समझ– जेंडर क्या है,जेंडर का समाजीकरण, पितृसत्ता, बालिका शिक्षा, चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ, गरीबी और शिक्षा – बालमज़दूरी और पलायन की समस्या, अल्पसंख्यक समुदाय और शिक्षा।

इकाई-4. संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार — 10-अंक

भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी विवेचना – भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना, भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने तथा आपस में बन्धुता बढ़ाने के लिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार – समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक तुलना– दक्षिण अफ्रीका और भारत, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, भारत का संघीय ढाँचा तथा शिक्षा व्यवस्था – संघीय शासन व्यवस्था,भारत में संघीय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी, संविधान में भाषा और राज भाषा।

इकाई-5. औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास — 15-अंक

अंग्रेजी शासन से पूर्व देश में शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षा नीति पर बहस–मैकाले और प्राच्यवादी, आधुनिक शिक्षा का प्रसार–भारतीयों की भूमिका, हैदर कमीशन और दलित शिक्षा के मुद्दे, स्वतंत्रता के समय तक शिक्षा का विस्तार और प्रभाव।

इकरई 6 औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना और वैकल्पिक प्रयोग-

आर्य समाज : आँग्ल–वैदिक विद्यालय तथा गुरुकुल कांगड़ी – दयानन्द एँग्लो–वैदिक स्कूल (डी.ए.वी.स्कूल), गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, दारुल उलूम, रवीन्द्रनाथ टैगोर : शिक्षा दर्शन तथा प्रयोग – शिक्षा दर्शन, श्रीनिकेतन, शान्ति निकेतन, गाँधीजी : शिक्षा दर्शन तथा नई तालीम – गाँधीजी का शिक्षा दर्शन, गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा योजना (वर्धा शिक्षा योजना), बुनियादी शिक्षा का विकास (1937–47), आजाद भारत में बुनियादी शिक्षा, गाँधी–टैगोर शिक्षा संवाद – मातृभाषा में शिक्षण और अँग्रेजी की भूमिका, परीक्षोन्मुख शिक्षा बनाम प्रकृति से शिक्षण,उत्पादक कार्य एवं शिक्षण, संगीत और संस्कृति।

भाषा, संज्ञान और समाज : पाठ्यचर्या के संन्दर्भों में

कुल अंक–50

आंतरिक मूल्यांकन–15

बाह्य मूल्यांकन–35

कुल कांलाश–80

परिप्रेक्ष्य

भाषा, मनुष्य का एक महत्त्वपूर्ण सृजन है। सामान्यतः भाषा को सम्प्रेषण के साधन के रूप में देखा जाता है। दरअसल इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि सम्प्रेषण की विषयवस्तु का सृजन किस प्रकार होता है। भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, लेकिन भाषा सृजन, सायास मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। भाषा को सम्प्रेषण के रूप में समझने से महत्त्वपूर्ण, भाषा– सृजन की प्रक्रियाओं को समझना है क्योंकि इसी समझ के सहारे भाषा की भूमिका तथा भाषा सीखने के तरीकों को विकसित किया जा सकता है।

भाषा के कारण ही मनुष्य उस स्थिति को हासिल कर पाता है जिसमें वह वस्तुओं और प्राणियों की अनुपस्थिति में भी उनके बारे में विचार कर सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य अपने मन की बात को किसी और को बता पाता है। भाषा के कारण ही मनुष्य दूसरे को छुए बिना भी उससे मदद मांग सकता है तथा दूसरे की मदद कर सकता है।

भाषा एक माध्यम है, जिसका उपयोग समाज कई तरह के कामों को करने के लिए करता है। समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। समाज, भाषा का उपयोग इस प्रकार के विभाजनों को ठोस रूप प्रदान करने में करता है। ये विभाजन जेंडर, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर किए जाते हैं। इस विषय वस्तु के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षक भाषा के जरिए बनाए जाने वाले शक्ति संबंधों के बारे में समझ बनाएँगे।

भाषा सामाजिक तत्त्व है । समाज में अनेक तरह के भेद तथा असमानताएँ पाई जाती हैं। इनमें से अनेक असमानताओं को विभिन्न सामाजिक समूह सायास तौर पर बनाए रखते हैं। इसी कारण भाषा में वर्चस्व तथा प्रतिरोध के स्वर बराबर सुनाई पड़ते हैं। समाज कोई सजातीय समूह नहीं है। इसीलिए भाषा में भी सजातीयता का तत्त्व सर्वत्र नहीं मिलता।

इस पाठक्रम द्वारा विद्यार्थी–शिक्षक यह समझ बनाएँगे कि भाषा से जेंडर, (स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व के आधार पर सामाजिक विभेद) जाति, क्षेत्र, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर परिलक्षित होने वाली असमानता को कैसे रोका जा सकता है।

विद्यार्थी–शिक्षक यह समझ बनाएँगे कि भाषा और लिपि के बीच के संबंध प्राकृतिक है या मानवीय वे यह भी समझ सकेंगे कि भाषा और लिपि में से किसका विकास पहले होता है? क्या किसी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है? क्या किसी लिपि में एक से अधिक भाषाओं को लिखा जा सकता है?

बच्चे भाषा को अनेक काम में लेते हैं। उनमें से एक काम सम्प्रेषण का भी है। वे सवाल पूछते हैं, आदेश देते हैं, विश्लेषण करते हैं, कल्पना करते हैं, वस्तुओं और प्राणियों से जुड़ते हैं, विचार करते हैं आदि। इन सभी कामों के लिए बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं। विद्यालय में इनके लिए अवसर उपलब्ध करवाना, स्कूली तंत्र तथा शिक्षक की साझा जिम्मेदारी होती हैं। इस सन्दर्भ में इस विषय वस्तु के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षक में दो क्षमताओं के विकास की उम्मीद है। पहली, वे यह समझ पाएँगे की बच्चे भाषा से कौन–कौन से काम लेते हैं तथा दूसरी, वे बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने के तरीकों का उपयोग करना सीख पाएंगे। विद्यालय में भाषा का उपयोग दो रूपों में किया जाता है। एक विषय के रूप में भाषाओं का अध्ययन करके तथा दूसरा भाषाओं को अन्य विषयों का अध्ययनं करने हेतु माध्यम के रूप में। एक में, वह स्वयं उद्देश्य होती हैं और दूसरे में उद्देश्य का माध्यम।

बहुभाषिकता हर समाज की विशेषता होती है। समाज में भाषाएँ आपसी मेल–जोल से विकसित होती हैं। भाषाओं में हुए सहज मेल–जोल के प्रति स्वीकृति का दृष्टिकोण भाषा को बोझिल होने से बचाता है। बच्चों की भाषा में निहित बहुभाषिकता के गुण को कक्षा में शिक्षा शास्त्रीय स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिये।

भाषा मानवीय ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इसकी मदद से मनुष्य ज्ञान का सृजन, भण्डारण, सम्प्रेषण, मूल्यांकन एवं संशोधन करता है। इसी कारण भाषा का स्थान विद्यालयी शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम में सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह इस तथ्य को समझें और शिक्षक के रूप में इसका उपयोग करें।

उद्देश्य

- विद्यार्थी–शिक्षक भाषा की उत्पत्ति के मूल सिद्धांतों को समझ पाएँगे।
- विद्यार्थी–शिक्षक भाषा की प्रकृति की समीक्षा कर उनके मध्य अंतर्संबंधों को समझ कर विभिन्न स्थितियो में उनका उपयोग कर सकेगें।
- विद्यार्थी–शिक्षक भाषा और समाज के रिश्तों की समीक्षा कर उसका उपयोग कर सकेंगे।
- विद्यार्थी–शिक्षक भाषा में निहित बहुभाषिकता को समझ कर अध्यापन में इसका उपयोग कर सकेंगे।

इकाईवार विवरण

इकाई–1. भाषा, समाज और सत्ता — अंक–20

भाषा और अस्मिता में संबंध, भाषा और जेंडर– समाज में जेंडर, व्याकरण में जेंडर, भाषा और क्षेत्र, भाषा और वर्ग, भाषा और धर्म – भाषायी विविधता और धर्म, धर्म के कारण भाषायी शब्द भण्डार में वृद्धि, लोकोक्तियों और मुहावरों का निर्माण तथा धर्म, भाषा, धर्म एवं जाति, भाषा और लिपि – लिपि, लिपि और भाषा में संबंध एवं अन्तर,ध्वनि संकेत एवं लिपि संकेत में संबंध, क्या भाषा और लिपि में संबंध अलंघनीय है, भाषा और लिपि में संबंध अनिवार्य अथवा मानवीय।

इकाई–2. भाषा की प्रकृति और स्वरूप — अंक–10

भाषा : प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में,भाषा : नियम संचालित व्यवस्था के रूप में – ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, संवाद संरचना,माध्यम तथा विषय के रूप में भाषाएँ – भाषा : विषय के रूप में, भाषा : माध्यम के रूप में, अवधारणाओं की समझ, तकनीकी, शब्दावली और बच्चे की समझ, भाषा का औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थितियों में उपयोग – भाषा की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति, लिखित एवं मौखिक भाषा में अन्तर्संबंध एवं अन्तर – मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर।

इकाई–3. भाषा और बहुभाषिकता — अंक–5

समाज और बहुभाषिकता, बहुभाषिकता सीखने–सिखाने के क्रम में।

हिन्दी भाषा–शिक्षण और प्रवीणता

कुल अंक –100

आंतरिक मूल्यांकन–40

बाह्य मूल्यांकन–60

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

प्राथमिक विद्यालय में बच्चे समुचित भाषा ज्ञान के साथ आते हैं। वे अपनी बात कहते हैं, दूसरे की कही हुई बात सुन कर समझते हैं और तदनुसार व्यवहार करते हैं। यद्यपि उनकी शब्दावली परिस्थिति, वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं आदि के कारण अलग–अलग होती है। बच्चे के इसी पूर्वार्जित भाषिक ज्ञान को आधार बना कर शिक्षा की नींव रखी जाती है।

भाषा विविध कौशलों का समूह है। सुनना, बोलना, पढना, लिखना–इन भाषा कौशलों के विकास पर भाषा–ज्ञान व सामान्य ज्ञानार्जन आश्रित है। ये कौशल सुनिश्चित करते हैं कि बोला हुआ सुन कर समझा जाए, लिखा हुआ पढ़ कर समझा जाए। हम लिखा हुआ पढ़ कर बोलते हैं, स्वयं सुनते हैं एवं समझते हैं। आरोह–अवरोह के साथ पढ़ना, समझना, तदनुसार हाव–भाव के साथ प्रतिक्रिया करना, विचार करना या प्रश्न पूछना आदि ये सभी काम भाषा के कौशलों पर आश्रित हैं।

अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना – यह संप्रेषण है। वक्ता द्वारा किसी भी विषय पर कही गई बात को श्रोता पूर्ण रूप से समझ जाए यही श्रेष्ठ सम्प्रेषण है। कुशल व श्रेष्ठ संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि सरल एवं सामान्य भाषा का प्रयोग। कठिन भाषा के प्रयोग से सम्प्रेषण कठिन एवं दुरूह हो जाता है। इस तरह सम्प्रेषक अपना पाण्डित्य तो प्रदर्शित कर देता है, परन्तु उसके द्वारा कही गई बात श्रोताओं तक सही रूप से नहीं पहुँच पाती। भाषा मात्र वक्ता का ही अधिकार नहीं, श्रोता तक अभिप्रेत पहुँचाने का दायित्त्व भी है। जो समझा न पाए वह वक्ता नहीं एवं जो न समझे वह श्रोता नहीं ।

अतः सरल एवं जन सामान्य में प्रचलित भाषा का प्रयोग संप्रेषण कौशल के विकास एवं भाषा की समझ को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। संप्रेषण कौशल के विकास के लिए भाषिक प्रयोग, व्यवहार, प्रतिभागिता के विपुल अवसर, भाषा की समझ, भाषा की पकड़ के साथ साथ हाव–भाव एवं अशाब्दिक क्रियाओं का भी महत्त्व होता है। अभिव्यक्ति शाब्दिक हो या निःशब्द, मौन हो या मुखर, ध्वन्यात्मक हो या सांकेतिक, इसकी सार्थकता उपयुक्त शब्द चयन, वाक्य रचना एवं हाव–भाव के संयोजन में है।

भाषा कौशलों पर अधिकार व्यक्ति में ग्राह्यता एवं अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करता है। यह चिंतन, मनन, तुलना, आलोचना, विश्लेषण, सृजनात्मकता, निर्णयात्मकता आदि उच्चस्तरीय कौशलों के रूप में भी विकसित होता है। भाषा कौशलों का विकास मात्र प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग या अधिगम तक ही नहीं, अपितु जीवन–पर्यन्त होता है। भाषा की कुशलता विद्यार्थी को ज्ञान–क्षेत्र का अध्ययन करने की योग्यता व आत्मविश्वास देती है।

भाषा साधन भी है, और साध्य भी। भाषा मानसिक विकास का कारण भी है और मापदंड भी। भाषा–शिक्षण के पाठ्यक्रम की रूपरेखा में भाषा के प्रायोगिक / व्यावहारिक तथा साहित्यिक रूप दोनों पर ही ध्यान दिया गया है। प्रायोगिक रूप के अन्तर्गत भाषा की वर्तनी, संरचना, व्याकरण आदि निहित हैं वहीं साहित्यिक रूप के अन्तर्गत मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विधाएँ, रस, अलंकार, शब्द–शक्तियाँ, रचना, सृजनात्मकता आदि का समावेश है। भाषा–शिक्षक को भाषा के दोनों रूपों के ज्ञान के साथ–साथ उनके ।ए भण की कला में सिद्धहस्त होना चाहिए।

भाषा, विद्यार्थी–शिक्षक को ऐसे अवसर देती है कि वह स्वयं अपने विचारों व भावों को शब्द दे सकें। भाषा–अध्ययन केवल भाषा–शिक्षक का ही दायित्व नहीं अपितु किसी भी विषय के शिक्षक के लिए भी आवश्यक है।

श्य

- हिन्दी भाषा के विकास, विशेषताओं को समझना ।
- हिन्दी के विविध रूपों एवं उनके महत्त्व को समझना।

- प्राथमिक स्तर पर भाषा–शिक्षण के उद्देश्यों को समझना।
- पढ़ना सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं को समझना।
- पढ़कर समझने की प्रक्रियाओं को समझना।
- विचारों को मौखिक व लिखित रूप में तारतम्यता से व्यक्त करने की प्रक्रियाओं को समझना।
- विद्यार्थी–शिक्षक में भाषायी क्षमताएँ विकसित करना।
- प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में भाषायी क्षमताएँ विकसित करने के लिए गतिविधियाँ बनाना, संचालित करना एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना।
- भाषायी क्षमताओं के आकलन की समझ बनाना।

इकाईवार विवरण

इकाई–1. हिन्दी भाषा : क्षेत्रीय एवं ऐतिहासिक विविधता अंक–5

हिन्दी भाषा का विकास, उत्पत्ति एवं विभिन्न रूप – भाषा का उद्‌भव, हिन्दी भाषा का उद्‌भव, हिन्दी भाषा का शाब्दिक अर्थ , हिन्दी भाषा के विविध रूप, हिन्दी भाषा का विकास

मानकीकरण की प्रक्रिया – मानकीकरण की आवश्यकता,मानकीकरण की प्रक्रिया, हिन्दी भाषा के संदर्भ में मानकीकरण के प्रयास,मानकीकरण के पहलू, हिन्दी भाषा : मानकीकरण के रूप, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

राजस्थानी भाषा – हिन्दी भाषा एवं उप भाषाएँ,राजस्थानी भाषा का परिचय,प्रश्न

इकाई–2. हिन्दी भाषा शिक्षण : उद्देश्य और आंकलन अंक–5

हिन्दी भाषा शिक्षण का महत्त्व – सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास,सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता में सहायक, शिक्षा प्राप्ति का मुख्य आधार, प्रश्न

भाषा शिक्षण के उद्देश्य – भाषा शिक्षण संकेतक कक्षा 1 व 2 भाषा शिक्षण संकेतक कक्षा 3 से 5 भाषा कौशल विकास–गतिविधियाँ, प्रश्न

आकलन - आकलन कक्षा 1 व 2 ,आकलन कक्षा 3 से 5, आकलन प्रक्रिया, प्रश्न

इकाई–3. मौखिक अभिव्यक्ति अंक–10

मौखिक अभिव्यक्ति का सैद्धान्तिक पक्ष – बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति व उसके विकास के विभिन्न चरण एवं आयाम (घर, बाहरी परिवेश तथा विद्यालय में मौखिक अभिव्यक्ति), मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलू, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, अर्थ पक्ष का विकास (शब्द शक्ति)

विद्यार्थी–शिक्षक की मौखिक क्षमताओं का विकास– स्पष्ट निर्देश देने की क्षमता, अवधारणाओं को मौखिक रूप से समझाना, अपने विचारों को विभिन्न सन्दर्भों में प्रभावी ढंग से विविध रूपों में अभिव्यक्त करने की क्षमता, अपने विचारों को विविध प्रकार के समूहों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता, देखी, सुनी व पढ़ी गई सामग्री को समालोचनात्मक रूप से संक्षिप्त व विस्तृत रूप में अभिव्यक्त करना

विद्यार्थी–शिक्षक में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की क्षमता विकसित करना – बच्चों के साथ शब्दों एवं ध्वनियों से खेलते हुए सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जाना, बच्चों में अपने विचारों को बेहिचक, स्पष्ट व स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकने की क्षमता

मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन एवं मूल्यांकन – आकलन के तरीके

इकाई-4. पढ़ना सीखना **अंक-12**

पढ़ना सीखना : सैद्धान्तिक पक्ष – पढ़ना क्या है?,पढ़ने–सीखने के विभिन्न उपागम ,बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने के चरण (पठन पूर्व स्थिति, पठन का प्रारम्भिक चरण, संक्रमण काल, द्रुत गति से पठन)

विद्यार्थी–शिक्षक का पढ़कर समझने के कौशल का विकास – वाचन और अर्थ ग्रहण, रचनात्मक साहित्य का पठन (गद्य साहित्य, काव्य, नाट्य साहित्य, आदि), विभिन्न विषयों का पठन और अध्ययन, विद्यालय स्तर की सामग्री का पठन, पाठ्यपुस्तकें एवं बाल साहित्य,सन्दर्भ ग्रन्थों का अवलोकन।

बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास के लिए गतिविधियाँ – बच्चों में पढ़ने के कौशल का विकास, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, बाल साहित्य चयन एवं उपयोग,

आकलन एवं मूल्यांकन – आकलन के तरीके,मूल्यांकन की प्रविधियाँ

इकाई-5. लिखना सीखना **अंक-12**

लिखने के कौशल की सैद्धांतिक समझ – लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर,लेखन के विकास के विभिन्न चरण: लेखन पूर्व शुरूआती लेखन, लिखने की दहलीज तथा उचित गति के साथ लिखना

लेखन के विभिन्न पहलू – आकृति, ध्वनि, अर्थ संबंध,लेखन आरंभ करने की योग्यता, शब्द, वाक्य, विरामचिह्न आदि के प्रयोग पर अधिकार, रचना लेखन : कहानी, कविता, संस्मरण

विद्यार्थी–शिक्षकों की लिखित क्षमता का विकास – लिखित अभिव्यक्ति करना, ब्लैकबोर्ड या श्यामपट्ट लिखने के कौशल का विकास, लिखित अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्धता, सुने हुए विचारों को संक्षिप्त व विस्तृत ढंग से लिखना

बच्चों के लेखन कौशल का विकास – बच्चों में शुरुआती लेखन विकसित करने के लिए गतिविधियाँ कराने के तरीकों पर समझ बनाना, बच्चों में स्पष्ट लेखन क्षमता का विकास करना, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना, बच्चों द्वारा अनुभवों को लिखित अभिव्यक्ति देना, कविता या कहानी नवीन रूप से सृजित करना, बच्चों द्वारा देखी, पढ़ी या सुनी सामग्री को संक्षेप एवं विस्तार से अपने शब्दों में लिखना, तार्किक चिन्तन के आधार पर अपनी बात लिखना एवं सरल रचनाएँ करना, लेखन में चर्चा और बातचीत की भूमिका, कल्पना के आधार पर गीत, कविता, कहानी, चुटकुले आदि लिखना

मूल्यांकन एवं आकलन

इकाई-6. साहित्य के पहलू **अंक-8**

साहित्य की विधाएँ : तत्त्व एवं रूप – साहित्य का स्वरूप व विधागत भेद, कहानी, कविता, निबन्ध, नाटक, एकांकी, आलेख, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्ताज, समाचार लेखन

बाल साहित्य – बाल साहित्य का अर्थ, बाल साहित्य की विशेषताएँ

भाषा के विकास में बाल साहित्य की भूमिका – बाल साहित्य का बच्चों पर प्रभाव, कक्षा में बाल साहित्य का चयन व प्रस्तुतीकरण

इकाई-7. भाषा की संरचना **अंक-8**

वाक्य संरचना – परिभाषा, वाक्यों के प्रकार, उपवाक्य, त्रुटियाँ, निदान एवं उपचार, प्रश्न

शब्द–रचना – शब्द, अर्थ सम्बन्ध, प्रकार, पद, त्रुटियाँ, निदान व उपचार, प्रश्न

ध्वनि और वर्ण – ध्वनि की परिभाषा, प्रकार, विराम चिह्न, त्रुटियाँ, निदान व उपचार, प्रश्न

PEDAGOGY OF ENGLISH LANGUAGE

Maximum Marks: 100
Internal: 40
External: 60
Student Contact Periods: 140

Area of Study: Pedagogy of English

Perspective

English in India is no longer a foreign language or the language of a few elite members of the society. It, on one hand, has emerged as one of the modern Indian languages with a large English-speaking population and as an ex-officio language of the Republic of India. On the other hand, it is still perceived as a status language and language of mobility. As a result, in most states, including Rajasthan, English is now being taught from Class 1.

This paper on the pedagogy of English teaching takes all these aspects into account and follows the perspective of the NCF 2005 focus group paper on the Teaching of English and the teaching of Indian languages. This course focuses on the teaching of English to learners at the primary level (Classes I to V). The aim is also to expose the student-teachers to contemporary practices in English Language Teaching (ELT) while upgrading their personal proficiency.

This course will enable the student-teachers to confidently create a supportive environment which encourages their learners to experiment with language learning. Having gone through the process themselves, the course will also help the student teachers focus on developing an understanding of second language learning.

Design of the Course

- Part A deals with the personal proficiency of the student-teacher.
- Part B, Units 3-5 should be rooted in the school classroom for student-teacher observation, analysis and discussion.
- In these units the maximum time must be spent on discussing specific strategies for teaching English.
- Subject-specific readings are suggested in all units for use in discussion groups enabling a direct relationship between theory and practice.
- Internal student-teacher evaluation deals with the delivery of lessons by student-teachers for peer observation plus the assignments, activities and projects spread across the units under CCE.

Objectives

The student teacher would be able -

- to upgrade their proficiency in English so that they can confidently be a part of the teaching-learning process.
- have a theoretical perspective on English as a 'Second Language' in English Language Teaching (ELT)

- to view English as just another modern Indian language and not a status language
- to grasp the principles and practice of teaching plans (course, unit and lesson) for effective teaching of English
- to develop classroom management skills, procedures and techniques for teaching the English language
- to examine and develop resources and materials for use with young learners for language teaching and testing
- to examine issues in language assessment and their impact on classroom teaching

Units of Study

English - PART A External Marks - 5 Internal - 30

UNIT 1 LISTENING AND SPEAKING

1. Listening with comprehension
2. Organising listening and speaking activities (rhymes, songs, role play, dramatisation, etc.)

UNIT 2 READING COMPREHENSION

1. Enhancing reading comprehension
2. Differentiating types of texts - Descriptive passages, Narrative passages, Expository passages, Argumentative passages
3. Local and global comprehension- Local comprehension , Global comprehension

UNIT 3 ENHANCING WRITING ABILITIES

1. Enhancing writing abilities
   1.1 Identifying a topic sentence
   1.2 Arranging sentences in a logical order
   1.3 Usage of linking words and phrases
2. Different forms of writing - Letters (personal, invitation, application, complaint and permission), Messages, Notices, Posters

UNIT 4 ENHANCING OVERALL PERSONAL PROFICIENCY

1. Enhancing overall proficiency

1.1 Word categorisation; Word meanings / word meanings in different contexts

1.2 Formation of simple sentences

1.3 Understanding main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.

1.4 Dealing with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken

1.5 Producing simple connected text on topics, which are familiar, or of personal interest

1.6 Describing experiences and events, dreams, hopes and ambitions giving reasons and explanations for opinions and plans

PART B

UNIT 1 ENGLISH LANGUAGE IN INDIA

1. A historical view, nature and present context of English as a Second Language in India
2. The multi-lingual nature of India -Issues of learning English in a multi-lingual / multi-cultural society
3. The existing status of English language teaching in India, NCF 2005 and the teaching of English , NCERT position paper on teaching English

UNIT 2 STRUCTURE OF ENGLISH LANGUAGE

1. Functions of language
2. Rules at sound level - basic sound patterns - Basic sound-letter relationship (e.g.cat / path / mate; call / cell),Monothong vowel sound patterns (e.g. pen, pan, pin, pun),Consonant clusters (e.g. tr, cl, st, str)]Comparison with sound patterns in HindiDifference between vowel letters and vowel sounds; consonant letters and consonant sounds
3. Expressions -
   - 3.1 Gesticulation and facial expression to convey meaning
   - 3.2 Oral expression while reciting and reading to make meaning
   - 3.3 Written expression, phrases, descriptors
4. Teaching Grammar to children
   - 4.1 Theories connected to grammar teaching-learning
   - 4.2 Simple sentence construction
   - 4.3 Basic language / grammar aspects: Naming words and types of nouns; Doing words; Simple present and past / present and past continuous verb forms; Verbs expressing future (will / be going to); Auxiliaries; Describing words (adjectives); Articles; Connectors (and, or, but); Possessive forms of pronouns (my, you, his/her); this, that, these, those as determiners and it and there as empty subjects; Question words (who, what, when, which, etc.); Punctuation marks (full stop, comma, question mark)
   - 4.4 Grammar teaching strategies (activities / tasks / games)

5. Basics of handwriting
   - 5.1 Pre-writing patterns / letter sizing.
   - 5.2 Preparing and presenting five activities for three different stages

UNIT 3 TEACHING STRATEGIES AND SKILLS

1. Listening to children's voices: how to encourage children to learn a new language
2. Role of a teacher in an English language class
3. Understanding the concerns with regard to the education of children with special needs
4. Materials and activities to facilitate learning
   - 4.1 Listening

     How we comprehend spoken language; Suggested strategies and activities; Examples of types of poetry used in the different primary classes, their conduct, purpose
   - 4.2 Speaking

     Seeing children's talk as valuable; Reducing the teacher's talk-time in the classroom and free articulation: Story-telling, Talk on given theme for 2 minutes (individual), Simple instructions (Sit down. Come here. May I have my book, please?), and formulaic usage (This is my book. What is the time? I get up early in the morning.), Conversation - dialogue (pair and group); Using pair-work and group-work meaningfully to encourage speaking and participation
   - 4.3 Reading

     Early literacy and whole-language development; Understanding stages of reading development; Purposes of reading; Kinds of texts and genres: why and how they help
   - 4.4 Writing

     Picture composition, narration and description; The relationship between observation, thoughts and writing; Elements of writing; Types of writing forms; Observation and discussion on problems of getting children to write; Report on possible solutions to getting children to write
5. Some integrated activities for the classroom

   Poems / rhymes, songs, charts, story-telling, role play, word walls, teaching pronunciation, rhythm, stress and intonation, reading

UNIT 4 PLANNING AND MATERIALS DEVELOPMENT

1. Integrating the teaching of English with other subjects
2. Understanding and analysing the syllabus guidelines for Rajasthan primary level
3. Need of a teaching plan
4. Preparation of low cost teaching aids
5. Using the classroom as a resource

UNIT 5 CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION

1. Meaning and purpose of CCE
2. Tools and techniques of CCE: Portfolios; Anecdotal records; Checklists; Rating scales; Observation; Assignments; Projects
3. Assessing language skills
   - 3.1 Assessing listening
   - 3.2 Assessing speaking
   - 3.3 Assessing reading
   - 3.4 Assessing writing
4. Assessing handwriting and spelling development
5. Attitude towards errors and mistakes

EVALUATION SCHEME

Internal Assessment - 40 Marks

First Test - 13 Marks	Part A, Units 1-2 + Part B, Units 1-3
Part A, Unit 1 (4 Marks) + Part A, Unit 2 (5 Marks) + Part B, Unit 1 (1 Mark) + Part B, Unit 2 (1 Mark) + Part B, Unit 3 (2 Marks)	
Second Test - 12 Marks	Part A, Units 3-4 + Part B, Units 4-5
Part A, Unit 3 (4 Marks) + Part A, Unit 4 (4 Marks) + Part B, Unit 4 (2 Marks) + Part B, Unit 5 (2 Marks)	
Activities (Throughout the Year) - 15 Marks (Part A - 13 Marks + Part B - 2 Marks)	

External Assessment - 60 Marks

गणित शिक्षण

कुल अंक–100

आन्तरिक मूल्यांकन–40

बाह्य मूल्यांकन–60

कालांश–140

परिप्रेक्ष्य

गणित हमारे विद्यालयों की पाठ्यचर्या का अनिवार्य विषय है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आसानी से कक्षा एक से लेकर कक्षा पाँच तक के विद्यार्थियों को गणित पढ़ा सकते हैं। इस अपेक्षा में अक्सर इस बात को नजर अंदाज कर दिया जाता है कि शिक्षक किन विषयों के शिक्षण में स्वयं को सहज पाते हैं तथा उनकी स्वयं की शिक्षा के दौरान उन्होंने किन विषयों का चयन किया था। अच्छा शिक्षक तैयार करने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी–शिक्षक के लिए उसका प्रशिक्षण अहम मुद्दा है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी विद्यालयों में विषय शिक्षक उपलब्ध कराया जाना है। एन.सी.एफ 2005 में भी शिक्षण के तौर तरीकों में सुझाए जा रहे नवाचारों को आत्मसात् करने के लिए ऐसे शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रियाओं को भी नया स्वरूप देने की अनुशंसा की गई है। शिक्षकों को इस तरह तैयार करना होगा कि वे बच्चों द्वारा किये जा रहे कार्यों को समझ सकें तथा उनकी चिंतन प्रक्रियाओं को सही दिशा की ओर प्रोत्साहित कर सकें। गणित की कक्षाओं को और बेहतर स्वरूप देने के लिए ऐसे तरीके सोचने होंगे जिसमें बच्चे स्वयं ही ज्ञान का निर्माण कर सकें तथा गणित पर अपनी समझ बना सकें। बच्चों के सामने समस्या रखकर उन्हें अपने तरीके से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। गणित में मानक कलन विधियाँ सीखना आवश्यक है परंतु सिर्फ मशीनीकृत रूप में नहीं बल्कि यह भी समझते हुए कि यह विधि क्यों कारगर है? अन्य तरीके कौन से हैं?

इस पाठ्यक्रम से अपेक्षा है कि यह विद्यार्थी–शिक्षक को एक अच्छा गणित शिक्षक बनने की प्रक्रिया में मददगार होगा। प्रथम वर्ष के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम में विद्यार्थी–शिक्षक को विभिन्न अध्यायों के द्वारा गणित कक्षाओं में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों से जूझने की क्षमताओं से युक्त करने का प्रयास किया गया हैं। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी–शिक्षक के विषयवस्तु ज्ञान को और समृद्ध करने के साथ–साथ गणित सीखने–सिखाने के बेहतर तौर–तरीकों पर भी सोचने के अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम में गणित की उपयोगिता तथा उद्देश्यों पर भी एक समीक्षात्मक विमर्श करने का प्रयास किया गया है। विद्यालय में आने वाले बच्चों की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और स्थानीय संदर्भो का उनकी शिक्षा पर गहरा प्रभाव रहता है, तदनुरूप गतिविधियाँ और पाठयोजनाएँ निर्मित की जानी चाहिए। एक शिक्षक की तैयारी में इन सभी मुद्दों का बहुत महत्त्व है। इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थी–शिक्षक अकादमिक एवं व्यावसायिक (Professionally) दृष्टि से मजबूत बनेंगे साथ ही शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं के प्रति भी संवेदनशील बनेंगे।

उद्देश्य

- गणित विकास क्रम का ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य निर्माण करना।
- प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले गणित के संदर्भ में विषयवस्तु की व्यापक समझ बनाना ।
- एन.सी.एफ 2005 के संदर्भ में गणित शिक्षण की समझ बनाना।
- गणित शिक्षण – अधिगम की प्रक्रियाएँ तथा पाठ योजना की समझ बनाना ।
- शिक्षण का वास्तविक अनुभव तथा मूल्यांकन की उपयोगिता को समझने का अवसर देना ।

इकाईवार विवरण

इकाई-1. गणित की प्रकृति, इतिहास तथा संस्कृति पर समीक्षात्मक अवलोकन **अंक-8**

संख्या पद्धतियाँ तथा गणना करने के तरीके – गणित के विकासक्रम का ऐतिहासिक तथा समकालीन परिप्रेक्ष्य, दुनियाँ के अलग–अलग हिस्सों में विकसित संख्या पद्धतियाँ तथा संख्या ज्ञान (मिश्र, रोम, माया, हिन्दू– अरबी संख्या पद्धति)

गणितीय ज्ञान निर्माण की विविध परम्पराएँ – गणित क्या हैं?, गणितीय ज्ञान की रचना क्या गणितीय ज्ञान अनोखा होता है?, विद्यालयी गणित की प्रकृति एवं स्वरूप

दैनिक जीवन में गणित – आम लोगों का गणित, गणितज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला गणित गणितज्ञों एवं आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित के तरीकों में अंतर, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गणित

विद्यालय में प्रयोग में लाया जाने वाला गणित – संख्या संक्रियाएँ, गणित की व्यापकता एवं बहुलता

इकाई-2. गणित सीखना -सिखाना.शिक्षण सिद्धान्त तथा शिक्षण विधियाँ **अंक-12**

गणित सीखने के विभिन्न सिद्धान्तों से परिचय – शिक्षण सिद्धान्त – बच्चों के गणित सीखने के संदर्भों पर आधारित

गणित शिक्षण की विधियाँ – विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, आगमन व निगमन विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि

व्यवहारवाद से रचनावाद तथा सामाजिक रचनावाद – गणित सीखने का व्यवहारवादी नजरिया, गणित शिक्षण में रचनावादी नजरिये, पियाजे का संख्यात्मक अवधारणा सीखने का सिद्धान्त

गणित सीखने–सिखाने के तरीकों पर हुए कार्यों से परिचय – गणित शिक्षण की दिशा में हुए नये प्रयास, आर.एम.ई. (Realistic Approach to Mathematics Education) से परिचय

गलतियों का विश्लेषण – प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकरणों में आने वाली प्रमुख समस्याएँ तथा उनके कारण, सवालों को हल करने के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियाँ था इनके कारणों का विश्लेषण

शिक्षण अधिगम योजना

इकाई-3. विषयवस्तु आधारित ज्ञान **अंक-25**

संस्कार और मानक विधियां : गिनना तथा गिनने में बच्चों को आने वाली कठिनाइयाँ, संख्याएँ क्रमसूचक (Ordinality) तथा मात्रासूचक (Cardinality) के रूप में और संख्या रेखा, विस्तारित रूप और स्थानीय मान, सवाल हल करने के बच्चों के अपने तरीके, संख्याओं से संबंधी आधारभूत संक्रियाएँ, जोड़ और बाकी के अलग–अलग अर्थ, जोड़–बाकी के सवालों को हल करने में उपयोग में ली जाने वाली विधियों की समीक्षा, संख्याओं से संबंधी आधारभूत संक्रियाएँ, गुणा और भाग के अलग–अलग अर्थ, गुणा पर आधारित सवाल हल करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विधियों की समीक्षा, भाग पर आधारित सवाल हल करने में उपयोग में ली जाने वाली विधियों की समीक्षा, लघुतम समापर्तक और महत्तम समापर्तक।

भिन्न, दशमलव और प्रतिशत : भिन्न की अवधारणा का परिचय, भिन्न की अवधारणा के विभिन्न संन्दर्भ, भिन्न के अलग–अलग रूप, भिन्न की अवधारणा सीखने और सिखाने में आने वाली मुश्किले और उनके कारण, भिन्न और संख्या रेखा, भिन्न तथा दशमलव संख्याओं में समानता एवं अंतर, प्रतिशत की अवधारणा।

मापन और समय–सारणी : मापन की प्रक्रिया तथा इकाईकृत करने का विचार, धारिता एवं आयतन, भारमापन, क्षेत्रफल, समय–सारणी विद्यालय, विद्यालय गतिविधियों की समय सारणी

कोण और आकार, बनावट तथा स्थानिक समझ : कोण की अवधारणा, कोण के प्रकार और कोण की रचना, स्थानिक समझ तथा इससे संबंधित अवधारणाएँ।

आँकड़ों का प्रबन्धन और पैटर्न : आँकड़े, आंकड़ों के प्रकार तथा उनका संग्रहण, आंकड़ो का सारणीयन, आंकड़ो का प्रदर्शन, पैटर्न की अवधारणा और प्रकार, पैटर्न को पहचानना तथा उसे आगे बढ़ाना।

इकाई-4. गणित शिक्षण सबके लिए

अंक-5

गणित सबके लिए – जेण्डर और गणित शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और गणित शिक्षा, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी एवं गणित शिक्षा

गणित शिक्षक की भूमिका तथा महत्त्व

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में गणित शिक्षण

विद्यालय से वंचित बच्चों के संदर्भ में गणित शिक्षण

इकाई-5. पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन **अंक-10**

गणित शिक्षण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

एन.सी.एफ. 2005, गणित का आधार पत्र तथा आर.टी.ई. 2009 के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षण के लक्ष्य तथा उद्देश्य –

प्राथमिक कक्षाओं हेतु गणित पाठ्यचर्या के महत्त्वपूर्ण तत्त्व – प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या तथा इसके तत्त्व

मूल्यांकन – मूल्यांकन के उद्देश्य, बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन – उद्देश्य तथा तरीके, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले गणित के संदर्भ में सतत एवं व्यापक

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण

कुल अंक–100

आंतरिक मूल्यांकन–40 अंक

बाह्य मूल्यांकन –60 अंक

कुल कालांश–140 अंक

परिप्रेक्ष्य

पर्यावरण अध्ययन, डाइट / B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय माना गया है, जिसे प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाना निर्धारित है। इस विषय की पाठ्यक्रम में अनिवार्यता को किसी तर्क की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पष्ट है कि बच्चे स्वाभाविक तौर पर अपने आस–पास की दुनिया के संपर्क में आते हैं और रोजाना ही उनके अनुभवों में नए अनुभव और उनकी उत्सुकताओं में नए सवाल जुड़ते रहते हैं। रोजाना चलने वाली इस प्रक्रिया को कक्षा में स्थान देने से विद्यालयी शिक्षा का दैनिक जीवन से जुड़ाव तो बनता ही है, बच्चों को उन अनुभवों को एक विशेष संदर्भ में देखने, जोड़ने और नए ज्ञान के निर्माण के लिए मंच भी मिलता है।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण अध्ययन विषय को लेकर समझ लगातार एक सी नहीं रही है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक चलाए जा रहे पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को दो भागो में विभाजित करके देखा गया है। पहले भाग में भौतिक एवं जैविक पर्यावरण से जुड़ी वैज्ञानिक अवधारणाओं जैसे – शरीर के आंतरिक तंत्र, बल, प्रकाश आदि को स्थान मिला है तो दूसरे भाग में सामाजिक अध्ययन से संबंधित अवधारणाओं जैसे–मानव विकास की कहानी ,लोकतंत्र, औद्योगिक विकास, जलवायु आदि पर बातचीत रखी गई है परन्तु पर्यावरण अध्ययन विषय को नए तरीके से देखने की जो बात एन. सी. एफ. 2005 में कही गई है वह यह मानती है कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों का एक समेकित विषय है। इन्हें अलग–अलग तरीके से देखा जाना उचित नही हैं, क्योंकि वस्तुतः यह ज्ञान इतना अलग–अलग भी नहीं है।

प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अनुभव भी काफी समेकित ही होते है, उदाहरणार्थ–पानी के बारे में सोचते समय बारिश के अनुभव के साथ–साथ जीव–जन्तुओं व पौधों के लिए पानी की जरूरत का एहसास भी बच्चों को होता है। इसी तरह पानी की कमी के भी अनुभव होते हैं जैसे– पानी का व्यर्थ बहना, उसको संरक्षित करना आदि मुद्दे भी इस आयुवर्ग के बच्चों के अनुभवों मे सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषयगत धाराओं मे बाँटने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। नया पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम से इस मायने में पूरी तरह अलग है। इसके अतिरिक्त इसमें बच्चों के अनुभव और उनके प्रश्नों को कक्षा में लाने के लिए पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों को केन्द्र में मानकर चलने वाली इस व्यवस्था में आकलन को लेकर भी समझ में काफी परिवर्तन आए हैं और इस पाठ्यक्रम से अपेक्षा है कि विद्यार्थी–शिक्षक इन परिवर्तनों को समझकर अपनी कक्षाओं में अलग–अलग चर्चाएँ कराने के लिए तैयार हो सकेंगे। उनकी भूमिका को अब एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा रहा है जो समय–समय पर उचित प्रश्न पूछकर, अपने अनुभवों से कुछ नया जोड़कर या ऐसे ही किन्हीं और तरीकों से बच्चों को उनके ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इस नए पाठ्यक्रम को मूलतः पांच भागों में बांटा गया है –

1. पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति।
2. पर्यावरण अध्ययन की विषयवस्तु ।
3. बच्चों के अनुभव, उनके प्रश्न तथा पूर्व समझ।
4. अधिगम योजना का प्रारूप निर्माण व गतिविधि संचालन।
5. पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन।

उद्देश्य

- विद्यार्थी–शिक्षक में पर्यावरण अध्ययन विषय के क्षेत्र, क्रमबद्धता और उसकी प्रकृति के बारे में व्यापक समझ बनाना।

- विद्यार्थी–शिक्षक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं पर स्वयं की समझ को पुनरवलोकन और विभिन्न चुनौतियों के आधार पर परखें ताकि कक्षा में विषयवस्तु पर चर्चा कराने की तैयारी की समझ बनें।
- पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थी–शिक्षक बच्चों के अनुभव और उनकी समझ के प्रति सजग हों तथा इन अनुभवों और उनके परिवेश को कक्षा में नया सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकने की समझ बनाना।
- बच्चों की जिज्ञासाओं (विशेषकर पर्यावरण के सम्बन्ध में) का सम्मान कर उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना तथा उनके साथ मिलजुल कर उनके प्रश्नों का उत्तर खोजने की दिशा में बढ़ सकने के लिए समझ बनाना।
- पर्यावरण अध्ययन की विषयवस्तु से सम्बन्धित शिक्षण अधिगम योजना का प्रारूप तैयार कर सम्बन्धित गतिविधियों का सुचारु रूप से संचालन कर सकने का कौशल प्राप्त करना।
- किसी भी तरह की पर्यावरणीय धरोहरों की आनंदानुभूति कर सकें, उनके संरक्षण के प्रति सजग हों तथा आर्थिक एवं सामाजिक सन्दर्भ में विकास से जुड़े इनके द्वंद्वों पर समझ बनाना।
- समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ बनाना।
- पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों की समझ बनाना तथा स्वयं द्वारा मूल्यांकन के नए–नए तरीके खोज सकने का कौशल प्राप्त करना।

इकाईवार विवरण

इकाई -1. पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति — अंक-10

पर्यावरण–भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवेश का आपसी ताना–बाना – विभिन्न पर्यावरणों का आपसी ताना–बाना, पर्यावरण अध्ययन : एक विषय के रूप में, पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दे यथा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आदि, पर्यावरण अध्ययन पर विभिन्न दृष्टिकोण, अध्ययन और उपलबध सामग्री – पर्यावरण अध्ययन और उपलब्ध सामग्री, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में अपनाई गई सोच – पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ, पाठ्यक्रम का प्रारूप, पाठ्यपुस्तकों में अपनाई गई सोच

इकाई-2. पर्यावरण अध्ययन की विषयवस्तु एवं शिक्षण विधियाँ — अंक-20

परिवार, मित्र और आस–पास का वातावरण – परिवार एवं समाज में भूमिकाओं का बँटवारा, श्रम की गरिमा, जैव विविधता के सरोकार– ऋतुएँ और जैव विविधता – एक सर्वे व चर्चा, स्वास्थ्य और जैव विविधता, जैव विविधता का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता, संवेदनशीलता एवं समानुभूति, आँकड़े इकट्ठे करना और उनका विश्लेषण, सूर्य–चन्द्रमा, भोजन – भोजन में विविधता, भोजन के विभिन्न स्रोत, उत्पादन, वितरण और संरक्षण, संतुलित भोजन, भोजन सम्बन्धी आदतें व अभावजन्य रोग, ईंधन, आवास, विभिन्न आवासों की समझ, नक़्शा बनाना एंवं नक़्शा पढ़ना, अपशिष्ट व उसका प्रबंधन, जल – जल स्रोतों के उपयोग, जल भरने में लिंग आधारित भूमिका व सामाजिक भेदभाव, शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल – जल अशुद्ध क्यों हो जाता हैं? अशुद्ध जल से होने वाली बीमारियाँ, वर्षा – क्या आप बादल बना सकते हैं? तैरना–डूबना, घुलना, जल प्रबंधन, यात्रा – यात्रा के कारण, यातायात के साधन, सड़क संकेतों की पहचान, धरोहरों के संरक्षण में स्वयं की भूमिका, अंतरिक्ष यात्रा, कुछ करना और बनाना।

खण्ड–1 खिलौने बनाना, खिलौनों के प्रकार, रँगाई–छपाई, बरतनों के प्रकार

मिट्टी के खिलौने बनाना, खिलौनों के प्रकार, रँगाई–छपाई, बरतनों के प्रकार,

खण्ड–2 खेती व पशुपालन

खेती से संबंधित क्रिया–कलाप – खेती कैसे की जाती है, खेती के कार्य में आने वाले औज़ार/उपकरण, खेत में पानी कैसे–कैसे, कृषि से सम्बंधित कुछ समस्याएँ, पशुपालन, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों में खेती और पशुपालन की विशेषताएँ।

इकाई-3. बच्चों के अनुभव, उनके सवाल एवं पूर्व समझ **अंक-10**

बच्चों के सवाल और उनका महत्त्व, बच्चों के अनुभवों का दायरा, बच्चों के सवालों के उत्तर कैसे दें, बच्चों के सवाल – ई–ग्रुप, ब्लॉग, शब्दकोश, इंटरनेट जैसे संसाधनों का उपयोग, बच्चों के विचार, अलग–अलग अवधारणाओं के बारे में तर्क, बच्चों के विचारों व ठोस उदाहरणों की सहायता से सीखने–सिखाने को पियाजे और वायगोत्सकी के परिप्रेक्ष्य में समझना, रचनावादी सिद्धान्त क्या है?, पियाजे और उनका बाल विकास का मॉडल, वायगोत्सकी और सामाजिक रचनावाद, अवधारणाओं पर बच्चों के वैकल्पिक विचार और इससे सम्बंधित शोध, बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं पर वायगोत्सकी के विचार, बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं पर रोजलिंड ड्राइवर का काम, बच्चों की खगोलीय अवधारणाओं पर भारत में हुए शोध, बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएँ और शिक्षक की भूमिका

इकाई 4. अधिगम योजना निर्माण एवं गतिविधि संचालन **अंक-10**

अधिगम योजना निर्माण, अधिगम निर्माण योजना और गतिविधि संचालन के उदाहरण, कक्षा के भीतर अधिगम निर्माण गतिविधि संचालन के दौरान चर्चा एवं बातचीत, विविध सामाजिक समुदायों और संसाधनों का अधिगम निर्माण में उपयोग, समुदाय के संसाधन, खोज के विविध तरीके, सर्वे कार्य, प्रयोग करना, सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व, साक्षात्कार, गतिविधि संचालन एवं समय नियोजन, शिक्षण अधिगम हेतु योजनाएँ बनाना, अलग–अलग उम्र के बच्चों के विचार और तर्क, पुस्तकों का विश्लेषण : अलग–अलग आधारों पर, विविध पत्र–पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग

इकाई-5 पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन **अंक-10**

आकलन और मूल्यांकन, आकलन, मूल्यांकन, आकलन व मूल्यांकन में संबंध, मूल्यांकन के उद्देश्य, पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सूचक, आकलन/मूल्यांकन की पद्धतियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक आकलन पद्धति की विशेषताएँ, आकलन एवं मूल्यांकन के विभिन्न तरीके, पेपर–पेंसिल टेस्ट, नक़्शा बनाना, चित्र बनाना एवं पढ़ना, सर्वे, परियोजना (प्रोजेक्ट), कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति व मूल्यांकन, बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, अभिलेख रखने के तरीके, सह–शैक्षिक क्षेत्र, पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड की तरह, रिपोर्ट के तरीके, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन करना, नयमित रूप से बच्चों के साथ रिपोर्ट साझा करना, मासिक मीटिंग में अभिभावकों से रिपोर्ट साझा करना, प्रश्न पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण के मुख्य चरण, प्रश्न पत्र का ब्लू–प्रिन्ट बनाना

कला शिक्षा

कुल अंक–50

आंतरिक मूल्यांकन–20

बाह्य मूल्यांकन–30

कालांश–70

परिप्रेक्ष्य

सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध प्रत्येक मनुष्य की जन्मजात विशिष्टताएँ हैं। मानव, अनुभूति में नई और उपयोग में संतोषप्रद रचना करने को सदैव उत्सुक रहता है इसके लिए वह शब्द, ध्वनि, रूपाकार, गति एवं भंगिमा जैसे माध्यम चुनता है।

मनुष्य की अनुभूति और सृजनात्मकता माध्यम के साथ उसकी अन्तःक्रिया एवं संघर्ष में परिलक्षित होती है। सृजन प्रक्रिया में मनुष्य सर्वांगीण रूप से क्रियाशील रहता है अर्थात उसका मन, बुद्धि व शरीर तीनों एक साथ क्रियाशील रहते हैं। कला एक प्रक्रिया भी है व प्रतिफल भी। कला अभिव्यक्ति की भाषा है और कलाकार की कल्पना, संवेग एवं अन्तर्मन का दर्पण है। अतः सौंदर्यानुभूति के प्रति रुचि जाग्रत करना शिक्षा का बुनियादी कार्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्रथम दस वर्ष की सामान्य शिक्षा द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य है अतः बालक की सृजनात्मक एवं आत्माभिव्यक्ति के लिए कला शिक्षा पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग होनी चाहिए, इसी दृष्टि से इसके अन्तर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि – "स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में अभी तक कला शिक्षा एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कला शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में चेतना उत्पन्न करना होना चाहिए ताकि वे रंग, रेखा, आकार, गति एवं ध्वनि के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हों। कला व सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन बच्चों को सराहना करने योग्य बना सकता हैं। कला शिक्षा खण्डशः नहीं दी जानी चाहिए। इस हेतु कक्षा दस तक प्रत्येक स्तर पर एक समेकित उपागम अपनाया जाना चाहिए।"

नाटक, चित्रकला आदि कलाएँ न केवल हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम हैं बल्कि इनसे हमें स्वयं को समझने के अवसर भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी–शिक्षकों को नाटक की विभिन्न गतिविधियों से खुद की क्षमताएँ, मंशाएँ, अपने समाजीकरण को चुनौती देने के अवसर भी मिलते हैं। कलाओं की प्रवृति ऐसी होती है कि विद्यार्थी–शिक्षक और बच्चे दोनों खुद को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में अपेक्षित है कि विद्यार्थी–शिक्षक कलाओं के माध्यम से खुद को समझने का प्रयास करेंगे व विद्यालय से बच्चों को समझने के लिए कलाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

कला केवल एक विशिष्ट विषय के रूप नहीं में पढ़ाया जाना चाहिए बल्कि हर विषय के शिक्षण में और विद्यालय के समस्त क्रिया कलापों में कला–बोध एवं कला–माध्यमों का उपयोग होना चाहिए। चित्र बनाना, नाटक, नृत्य, कठपुतली, गायन, वादन आदि विधाओं का उपयोग एक शिक्षक प्रत्येक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कर सकता है। इसी कारण हर शिक्षक का विभिन्न कलाओं से परिचय और अभ्यास होना आवश्यक है।

यह तभी सम्भव है जब विद्यार्थी–शिक्षकों को सृजनात्मकता और कला बोध विकसित करने के अवसर मिलें, उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सृजनशीलता के लिए भरपूर उन्मुक्त माहौल उपलब्ध कराना होगा। कला–बोध केवल कला की विभिन्न तकनीकों को सीखने से विकसित नहीं होता है बल्कि उसके लिए कुछ सैद्धान्तिक अध्ययन, उत्कृष्ट कलाकृतियों का सौन्दर्यबोध भी जरूरी है ।

इस विषय के अध्ययन में विद्यार्थी–शिक्षक को स्वयं के कलात्मक प्रतिभावों को विकसित करने तथा शिक्षण में उनके उपयोग करने के अवसर दिये जाएँगे।

सृजनात्मकता प्रत्येक बालक में जन्मजात रूप में पाई जाती है, आवश्यकता है उसे विकसित, पल्लवित तथा दिशा देने की। सिर्फ कला ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक में सृजनात्मकता के बीज को बिना किसी नुकसान के विकसित कर उसे आनन्द की अनुभूति कराई जा सकती है।

उद्देश्य

- सौंदर्य चेतना जाग्रत करना तथा लोक–कला एवं कलाकारों के प्रति अनुराग उत्पन्न करना।
- विभिन्न सुलभ एवं स्थानीय साधनों द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना।
- बच्चों की कलात्मक संवदेना को दैनिक–जीवन में भी बनाए रखना।
- बच्चों में कला की सराहना करने की क्षमता का विकास करना।
- समसामयिक और स्थानीय समुदाय के प्रचलित कला स्वरूपों का अवबोध कराना।
- कलाओं के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षकों को खुद को समझने के अवसर उपलब्ध कराना व विद्यालय में बच्चों को समझने के लिए कलाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
- विद्यार्थी–शिक्षकों को कला शिक्षण के कुछ बुनियादी सिद्धांतों से परिचित कराना ताकि वह अपने बच्चों में कलात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकें।
- विद्यार्थी–शिक्षकों में उनकी कलात्मक प्रवृत्तियों को उभारना ताकि कला की विभिन्न विधाओं के प्रति उनकी झिझक टूटे। चित्रकला, नाटक, मूर्तिकला, संगीत इनमें से किसी एक विधा में विशेष हुनर हासिल करें।
- विद्यार्थी–शिक्षकों को भारत तथा विश्व की कलात्मक धरोहरों से प्रारंभिक परिचय कराना ताकि वे उत्कृष्ट कलाकृतियों का रसास्वादन एवं सौन्दर्यानुभूति कर सकें।
- विद्यार्थी–शिक्षकों को अपने परिवेश की सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहरों को पहचानने व रसास्वादन में मदद करना।
- विद्यार्थी–शिक्षकों की सृजनशीलता को नए आयाम देना ताकि वे अनुपयोगी सामग्री से सुन्दर वस्तुएँ बनाने, कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय को सौन्दर्यबोध के साथ सजाने की ओर प्रेरित हों।

इकाईवार विवरण

इकाई–1. कला क्या है ? **अंक–5**

कला की भूमिका, क्षेत्र एवं महत्त्व, संवेदना, अवलोकन एवं कल्पना, कला एवं संस्कृति, अन्य विषयों से कला–शिक्षा का सहसम्बन्ध।

इकाई–2. कला शिक्षण – उद्देश्य और विधियाँ **अंक–5**

कला शिक्षण क्यों? कला शिक्षण कैसे? बच्चों में चित्र बनाने की सक्षमता का विकास।

इकाई–3. दृश्य कलाएँ **अंक– 8**

द्विआयामी (चित्रात्मक) – रेखांकन, रंगाकन, कोलाज, छापांकन, राजस्थानी लोक कलाएँ, त्रिआयामी (तक्षणात्मक) – मृण्शिल्प, पेपरमेशी, अनुपयोगी सामग्री से सृजनात्मक रचना निर्माण, मुखौटे, कठपुतली।

इकाई–4. प्रदर्शनकारी कलाएँ **अंक–8**

(संगीत परिचय) – ध्वनि–स्वर, सप्तक, अलंकार, लय– ताल, वाद्य– तंतु, अवनद्ध, सुषिर, धन लोक संगीत, लोकगीत, लोकवाद्य, लोकनृत्य, नाटक और भारतीय समाज, नाटक क्यों? नाटकीकरण, न कि नाटक, नाटक करने की विभिन्न विधाएं :– मंचीय नाटक, नुक्कड़ नाटक, एकांकी, मूकाभिनय नाटक, एकाभिनय, इंप्रोवाइज़ेशन (improvisation) नाटक के अंश : मंचीय अंश, नेपथ्य अंश, पुतली : नाटक का माध्य, निर्माण प्रक्रिया, संचालन प्रक्रिया।

इकाई–5. भारतीय कला, इतिहास, परिचय **अंक–4**

चित्रकला का इतिहास, मूर्तिकला का इतिहास, स्थापत्य कला का इतिहास, संगीतकला का इतिहास, नाट्यकला का इतिहास।

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी

कुल अंक –50

आंतरिक मूल्यांकन–30

बाह्य मूल्यांकन–20

कालांश–70

परिप्रेक्ष्य

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी वर्तमान शिक्षा जगत की महती आवश्यकता है। शिक्षा में तकनीकी एवं शिक्षा की तकनीकी दोनों ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 शिक्षा तकनीकी और सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षक शिक्षा में शिक्षा तकनीकी और सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का सबसे अधिक महत्त्व है। यह महत्त्व दो रूपों में है – पहला, शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में उपयोग करने के लिए, दूसरा उसकी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए।

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी द्वारा विद्यालयी पाठ्यचर्या और पाठ्यसामग्री को स्थानीयता प्रदान करते हुए काफी लचीला और बाल–केन्द्रित भी बनाया जा सकता है और बच्चों द्वारा लिखे या संशोधित किए गए लेखन को सीखने–सिखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी के अनुरूप विद्यार्थी–शिक्षक की क्षमता विकास करना इस पाठ्यकम का उद्देश्य भी है।

उद्देश्य

- शिक्षा में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी तथा ई–लर्निंग की महत्ता की समझ बनाना।
- शिक्षण अधिगम परिस्थिति में तकनीकी को पहचानना, विकसित करना एवं आवश्यकतानुरूप प्रयोग करना।
- विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरणों तथा तकनीकों का प्रभावी संप्रेषण में उपयोग करना।
- स्थानीय शिक्षण सामग्री का अधिगम विस्तार में प्रयोग करना।
- विद्यार्थी–शिक्षक को कम्प्यूटर तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाना।
- विद्यार्थी–शिक्षक द्वारा शैक्षिक तकनीकी के सभी पहलुओं का उचित उपयोग करके अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना।
- विद्यार्थी–शिक्षक को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु आई.सी.टी. का उपयोग करने में सक्षम बनाना।
- विद्यार्थी–शिक्षक व बच्चों में समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना।
- डेटा व्यवस्था (Data Management) की तकनीक सीख कर उनके उपयोग से विद्यालयी कार्यों को करने में सक्षम बनाना।

इकाईवार विवरण

इकाई–1. शैक्षिक तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–लर्निंग अंक–4

शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकार एवं क्षेत्र,

सूचना तकनीकी तथा ई–लर्निंग की अवधारणा एवं शैक्षिक आवश्यकता

शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी,

कम्प्यूटर सहायता अधिगम (C.A.L) कम्प्यूटर सहायता अनुदेशन (C.A.I.) एवं ऑन लाइन शिक्षा से अभिप्राय एवं वर्चुअल क्लास रूम,

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग

इकाई-2. विभिन्न संप्रेषण तकनीकों का शिक्षा में उपयोग **अंक-5**

संप्रेषण–की अवधारणा, प्रकार, आवश्यकता तथा सीमाएँ – संम्प्रेषण का चक्र, सम्प्रेषण के प्रकार, संप्रेषण की आवश्यकता, सम्प्रेषण के लाभ / गुण, संप्रेषण की सीमाएँ

एडगर डेल्स के अनुभव शंकु – एडगर डेल के अनुभव शंकु के गुण

विभिन्न सम्प्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग

शिक्षा में संप्रेषण उपकरणों एवं सहायक शिक्षण सामग्री का प्रभाव एवं उपयोग विधिः– रेडियो, टेलीविजन, प्रदर्शन बोर्ड– श्वेत / श्यामपट्ट, लपेट फलक, लालेन बोर्ड, क्लिप बोर्ड, इन्टरेक्टिव बोर्ड, प्रोजेक्टेड सामग्री– ओवर हैड प्रोजेक्टर, विजुलाइजर / डोक्यूमेंट कैमरा, डिजिटल कैमरा, मोबाइल, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर– डेस्कटॉप / लेपटॉप / टेबलेट, टेप रिकॉर्डर / आल इन वन / CD प्लेयर

समावेशित शिक्षा एवं तकनीक

आडियो / विडियों स्क्रिप्ट राइटिंग, अभिक्रमित अनुदेशन, स्थानीय सामग्री का उपयोग – ऑडियो स्क्रिप्ट लेखन के विभिन्न आयाम, विडियो स्क्रिप्ट लेखन, अभिक्रमित अनुदेशन / अधिगम

स्थानीय सामग्री का उपयोग

सूक्ष्म शिक्षण, कृत्रिम शिक्षण / अनुरूपित शिक्षण, दल शिक्षण

इकाई-3. वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम **अंक-7**

कम्प्यूटर का परिचय – कम्प्यूटर की कार्य पद्धति, कम्प्यूटर के गुण, कम्प्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया

ओपन सोर्स

शब्द संसाधन (वर्ड–प्रोसेसिंग) – शब्द संसाधन के लाभ, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के उदाहरण, वर्ड प्रोसेसर की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ, शब्द संसाधन को इंस्टाल करना, शब्द संसाधन प्रारंभ करना, शब्द संसाधन स्क्रीन के महत्त्वपूर्ण घटक, मुख्य मेनू (Main Menu), मुख्य मेनू विकल्प, ऑफिस बटन, होम मेनू, इन्सर्ट टेब, पेज लेआउट मेनू, रिव्यु मेनू, व्यू मेनू

डाटा प्रोसेसिंग एंड मेकिंग वर्कशीट – ODT, एक्सेल को प्रारंभ करना, एक्सेल विंडो, ऑफिस बटन, वर्कबुक (Workbook) का निर्माण, वर्कबुक को सुरक्षित करना, वर्कबुक को खोलना, वर्कशीट का प्रिंट आउट निकलना, प्रिंटिंग का पूर्वावलोकन, वर्कशीट को प्रिंट करना, वर्कबुक को बंद करना, एक्सेल पर कार्य समाप्त करना, रिबन, होम मैनू, इन्सर्ट मैनू, पेज ले–आउट मैनू, फार्मूला मैनू, डाटा मैनू, रिव्यू मैनू

इकाई-4. पॉवर पाइंट, इन्टरनेट, कम्प्यूटर का रख-रखाव एवं मल्टीमीडिया **अंक-4**

पावर पॉइंट – पावर पॉइंट विंडों को खोलना, पावर पॉइंट स्क्रीन के महत्त्वपूर्ण घटक, मुख्य मैनू विकल्प, होम मैनू, इन्सर्ट मैनू, एनीमेशन मैनू, रिव्यू मैनू, व्यू मैनू

मल्टीमीडिया, इन्टरनेट, ब्ल्यूटूथ, इंटरनेट ब्राउज़र, ईमेल (E-mail) आई.डी. का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इन्साइक्लोपीडिआ (विश्वज्ञानकोश), कम्प्यूटर का रख–रखाव, साइबर क्राइम

कार्य शिक्षा

परिप्रेक्ष्य

"आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वह शिक्षा से जुड़ी कोई मामूली बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया–पढ़ाया जाए वह हस्तकारों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। आप तर्क कर सकते हैं कि हमारे देश में मध्यकाल में भी बच्चे कला व्यवसाय ही सीखते थे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ लेकिन पूरी शिक्षा उस समय भी हस्तकारों के माध्यम से नहीं दी जाती थी। उस समय व्यवसाय की शिक्षा व्यवसाय करते हुए ही दी जाती थी। हमारा उद्देश्य है कि व्यवसाय और हस्तकारी के साथ साथ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ व्यवसाय और हस्तकारी सिखाने की जगह बच्चों की पूरी शिक्षा ही उसके माध्यम से दी जानी चाहिए।"

– महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी के विचारों की रोशनी में अगर वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य को टटोलें तो पाएँगे कि शैक्षिक पाठ्यचर्या में हुनर को सबसे कम प्राथमिकता मिली है, सामाजिक, बौद्धिक मनोवैज्ञानिक और सम्बन्धों की कला; जैसे : तर्कक्षमता, संवाद क्षमता, संगठन क्षमता, नेतृत्व कौशल जिनमें रचनात्मक, अन्तः प्रेरणा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टि भी शामिल है। ये सब व्यावहारिक रूप में शैक्षिक पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं बन पाए हैं और इसका पूरा प्रभाव बच्चों के उपलब्धि स्तर में देखने को मिल रहा है। शिक्षकों की तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए की वे कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय की अन्य गतिविधियों में इन्हें प्रयोग में ला सकें। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विद्यार्थी–शिक्षकों को कार्य शिक्षा का इस तरह से अभ्यास करवाया जाए कि वे हुनर और ज्ञान दोनों को जोड़कर बच्चों में बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का कौशल अर्जित कर सकें।

प्रारम्भिक शिक्षण कार्यक्रम कार्य शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों को सूचनाओं और जानकारियों के सम्प्रेषक के रूप में नहीं देखता अपितु शिक्षकों से अपेक्षा करता है कि वे विद्यालयी पाठ्यक्रम में कार्य शिक्षा को शौकिया या मात्र मनोरंजनात्मक गतिविधि के रूप में नहीं समझे बल्कि विशिष्टिता प्राप्ति के उद्देश्य से पढ़ाए जाने की जरूरत को पहचान सकें। कार्य शिक्षा की प्रस्तुत पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षकों में इस तरह का दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहती है कि वे "कार्य शिक्षा" को एक अलग विषय को पढ़ाने के रूप में न देखें, बल्कि इसे भाषा, सामाजिक व पर्यावरण अध्ययन, कला, गणित जैसे विषयों के अध्ययनों का हिस्सा बनाने की क्षमता विकसित करें। वे कार्य को एक यांत्रिक व मात्र शारीरिक श्रम से जुड़ी गतिविधि न समझें बल्कि कार्य को ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनाएँ। प्रस्तुत पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षक की तैयारी को कुछ इस दृष्टि से देखती है कि वे यह समझ पैदा करें कि अपने हाथों, वस्तुओं और तकनीकों से काम करना घटनाओं को समझने और समस्याओ के समाधान दोनों ही दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसलिए कक्षायी शिक्षण में इन तीनों प्रक्रियाओं को जोड़ने का कौशल उन्हें अर्जित करना होगा। वे बच्चों के लिए ऐसे ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता को समझें जो बच्चों को अपनी सामाजिक परम्पराओं से विमुख न करें और सामाजिक बदलाव की शक्ति बनाएँ। कार्य शिक्षा की पाठ्यचर्या इस तथ्य को स्वीकार करने की समझ पैदा करने की ओर संकेत करती है कि केवल बौद्धिक प्रशिक्षण सामान्यतः बच्चे को व्यक्तिवादी बनाता है पर जब विद्यालयी गतिविधियाँ कार्य से जुड़ जाएँगी तो बच्चों को उन सबके सम्पर्क में आने का अवसर मिलेगा जिनके साथ उन्हें रहना है, व्यवहार करना है। इस तरह से बच्चे सामुदायिक जीवन की महत्ता को समझ सकेंगे। कार्यशिक्षा की इस पाठ्यचर्या का लक्ष्य यह भी रहेगा की विद्यार्थी–शिक्षक की तैयारी इस प्रकार से हो कि वे कार्य को विद्यालय और समाज के सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के बच्चों के लिए तथा स्वयं के लिए भावनात्मक, आर्थिक एवं बौद्धिक सशक्तीकरण के मजबूत माध्यम के रूप में देख सकें। पाठ्यचर्या में बल दिया गया है कि विद्यार्थी–शिक्षक कार्य शिक्षा को बच्चों द्वारा 'उत्पाद' निर्माण की प्रक्रिया के रूप में न देखें अपितु इसके वास्तविक स्वरूप की समझ हासिल करें। कार्यशिक्षा उद्देश्य पूर्ण शारीरिक कार्य है, जो समुदाय के लिए उपयोगी, सेवा और उत्पादक कार्यों के रूप में परिलक्षित होता है। कक्षा में बच्चों द्वारा तरह–तरह की सजावटी सामग्री बना देना कार्य शिक्षा नहीं है, इस तथ्य से परिचित करवाना नितान्त आवश्यक होगा। यदि पाठ्यचर्या इस तरह की समझ विकसित करने का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो विद्यार्थी–शिक्षक स्वतः बच्चों को करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन करने में सक्षम हो सकेंगे और कार्य का इस्तेमाल समूची शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में कर सकेंगे। पाठ्यचर्या के माध्यम से विद्यार्थी–शिक्षकों को यह संकेत मिलना भी जरूरी है कार्य और शिक्षा का क्या सम्बन्ध है तथा विद्यालयी शिक्षा के कार्य बाल श्रम से किस प्रकार भिन्न है। कार्य शिक्षा के संदर्भ में विद्यालयों की क्या तैयारी होनी चाहिए इस बात की समझ विकसित करना भी जरूरी है।

कार्य शिक्षा के उद्देश्य एवं विद्यार्थी-शिक्षकों से अपेक्षाएँ

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा के लिए कार्य शिक्षा के जिस स्वरूप की अनुशंसा करती है उसके अनुसार प्रस्तुत पाठ्यचर्या इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी–शिक्षक वर्तमान विद्यालयी शिक्षा में स्थापित हो चुके कार्य के नकारात्मक स्वरूप को चुनौती दे सकें। इसकी जड़ता को समाप्त करने के लिए रोचक गतिविधियों की खोज कर सकें। अभिभावकों में इस विषय के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के तरीकों को खोजने व क्रियान्वित करने के कौशल विकसित कर सकें। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यशिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- विद्यार्थी–शिक्षकों में विद्यालयी शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर कार्य शिक्षा की अवधारणा एवं स्वरूप के प्रति समझ विकसित करना।
- प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले पाठ्यचर्या विषयों; जैसे–भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला स्वास्थ्य शारीरिक एवं शिक्षा की अवधारणाओं को समझाने की प्रक्रिया में कार्य को जोड़ने की क्षमता का विकास करना।
- विद्यालय में कार्य शिक्षा के लिए अनुकूल परिवेश उत्पन्न करने व उसे बनाये रखने का कौशल विकसित करना।
- श्रमजीवियों, शिल्पियों और दस्तकारों की क्षमताओं व आवश्यकताओं के प्रति समझ उत्पन्न करना तथा शिक्षक बनने पर उन्हें विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रियाओं से जोड़ने की सम्भावनाओं पर विचार करने के अवसर देना।
- कार्य में निहित तार्किक गुणों, लैंगिक, भाषिक व सामाजिक सरोकारों के प्रति समझ विकसित करना।
- कार्य जगत से परिचित करने के मौलिक तरीके खोजने की क्षमता का विकास करना।
- बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक एवं मानसिक विकास को समझने के लिए कार्य को उपकरण के रूप में प्रयुक्त करना।
- अपने विद्यालय के लिए कार्य शिक्षा की सावधिक योजनाएँ तैयार करने का कौशल विकसित करना जिसमें अर्थ और उन्हें दूर करने में अपनी प्रतिभागिता समझना।
- कुछ इस तरह के वार्षिक मेलों के आयोजन करने का कौशल विकसित करना जिनमें बच्चों के काम तथा स्थानीय कलाओं को प्रदर्शित किया जा सकें।
- परिवेश में चल रही उत्पादक गतिविधियों तथा कार्यों से जुड़ी शब्दावली व मुहावरों की पहचान करने के अवसर देना व उन्हें भाषा शिक्षण से जोड़ने के कौशल विकसित करना।
- कार्य शिक्षा के संदर्भ में बच्चों का आकलन व मूल्यांकन करने की समझ विकसित करना, मूल्यांकन सम्बन्धी रिकार्ड बनाने तथा उन्हें अभिभावकों व अगली कक्षा के शिक्षकों को सम्प्रेषित करने के तरीकों से परिचित करवाना।

अनिवार्य कार्यकलापों की प्रस्तावित सूची

क्र. स.	गतिविधि का नाम	प्रकृति	क्रियान्वयन	विषय
1.	कक्षा कक्ष एवं विद्यालय परिसर की सफाई	परिवेश के प्रति सजगता	सामूहिक रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण
2.	परिवेश में पाई जाने वाली वनस्पति की पहचान, क्यारी तैयार करना	परिवेश के प्रति सजगता	एकल रूप से एवं सामूहिक रूप से	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण
3.	पौधारोपण	परिवेश के प्रति सजगता	एकल	पर्यावरण अध्ययन शिक्षण
4.	डेयरी/मुर्गी पालन/पशु पालन केन्द्रों का भ्रमण	सामुदायिक सेवा एवं परिवेश के प्रति सजगता	सामूहिक	विज्ञान शिक्षण

5.	घरेलू बजट तैयार करना	उत्तरदायित्व की भावना, तार्किक सोच	एकल	गणित शिक्षण
6.	श्रमजीवी से साक्षात्कार– (वृद्धाश्रम/अनाथ श्रम संस्थान में), किसी पर्व पर सांस्कृतिक आयोजन	श्रम का महत्त्व बोध एवं संवेदनशीलता	एकल एवं सामूहिक रूप से	भाषा शिक्षण
7.	पल्स पोलियों केन्द्र के लिए कार्य	श्रम का महत्त्व बोध संवेदनशीलता	दो–दो के समूह में	स्वाथ्य एवं शारीरिक शिक्षा
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/आँगनवाड़ी का भ्रमण व वैयक्तिक अध्ययन करना	सामुदायिक सेवा	सामूहिक रूप से इन केन्द्रों पर आने वाले अभिभावकों से संवाद भी करवाया जाए	विज्ञान शिक्षण
9.	स्थानीय कला एवं उत्पादक कार्यकलापों की सूची तैयार करना, किसी एक हुनर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति का पता लगाना	ऐतिहासिक गरिमा का बोध, सामुदायिक सेवा	एकल	प्रायोजना कार्य

ऐच्छिक कार्यकलापों की प्रस्तावित सूची

क्र.स.	कार्यकलाप का नाम	प्रकृति	विषय के साथ समन्वयन एवं क्रियान्वयन
1.	मिट्टी का कार्य (खिलौने, मनके बनाना)	सृजनात्मक बोध	गणित, कला शिक्षा
2.	सिलाई का कार्य (बटन टांकना, तुरपाई)	रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कार्य	कला शिक्षा
3.	कशीदाकारी कढ़ाई के सरल–टांके लगाना	सृजनात्मक बोध	कला शिक्षा
4.	मुखौटे बनाना	सृजनात्मक बोध	कला शिक्षा

5.	जिल्दसाजी	सृजनात्मक बोध	कला शिक्षा
6.	स्थानीय लोकगीतों व लोक कथाओं का संकलन	उत्पादक गतिविधि सांस्कृतिक विरासत	सामूहिक रूप से हिन्दी भाषा शिक्षण
7.	स्थानीय कलाओं और कार्यजगत से जुड़ी तकनीकी शब्दावली का संग्रह	संस्कृति का महत्त्व, शब्द संपदा में वृद्धि	दो–दो समूह में पर्यावरण अध्ययन व भाषा शिक्षण
8.	फ्यूज लगाना	रोजमर्रा के काम	पर्यावरण अध्ययन
9.	प्रसाधन सामग्री तैयार करना, साबुन, फेस पैक	रोजमर्रा के काम	कला शिक्षा/पर्यावरण अध्ययन शिक्षण
10.	जल संचयन	परिवेशीय सजगता	सामूहिक सभी विषयों में
11.	श्यामपट्ट की पुताई	स्वच्छता से जुड़े कार्य	सभी विषय
12.	बन्दनवार बनाना, माला पिरोना	सृजनात्मक	कला शिक्षा

उपर्युक्त सूची प्रस्तावित है निर्धारित नहीं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुसार और भी कार्यकलाप जोड़े जा सकते हैं। कार्य कलापों का चयन करते समय दक्षता के विकास के साथ–साथ सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना जरूरी है, टोकरी बनाना, बाँधनी, पेपरमेशी, मोमबत्ती, चॉक बनाना, दरी बुनना जैसे काम भी सूची में जोड़े जा सकते हैं, इन कार्यों से विद्यार्थी–शिक्षकों को जोड़ने का तात्पर्य यह नहीं ही वे इसमें निपुणता हासिल कर लें, आवश्यक यह है कि उनमें सीखने की प्रक्रिया से जुड़ने के प्रति ललक पैदा करें। साथ ही उनमें कार्य में निहित सिद्धान्तों को कक्षा–शिक्षण से जोड़ने का कौशल विकसित करें।

इस विषय की पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों से यह अपेक्षा करती है की जब वे विद्यार्थी–शिक्षकों के लिए कार्यकलापो का आयोजन एवं क्रियान्वयन करें तो उनकी युक्तियों व रणनीतियों के आधार पर विद्यार्थी–शिक्षक जहाँ एक ओर आयोजन संबंधी कौशल अर्जित करें वहीं दूसरी ओर आयोजन व क्रियान्वयन से जुड़े भावात्मक पक्ष की बारीकियों को भी समझें और शिक्षक बनने पर उनका निर्वहन करें। भावात्मक पक्ष इस प्रकार है–

- कार्यकलापों का चयन करते समय बच्चों की रुचि के साथ साथ उनकी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि का ध्यान रखने की समझ विकसित हो।
- कार्यकलापों के चयन में लिंग सम्बन्धी पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहने की क्षमता उत्पन्न हो।
- कार्यकलापों के क्रियान्वयन में चुनौतीपूर्ण बच्चों के लिए 'स्पेस' निर्मित करने व उनकी सम्भावनाओं को पहचानने की समझ उत्पन्न हो।
- कार्यकलापों के चयन व क्रियान्वयन में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मुद्दों को प्राथमिकता देने के समझ उत्पन्न हो। उदाहरण के तौर पर यदि 'बंधेज' करवाने का निर्णय लिया है तो स्वयं से प्रश्न किए जाने की क्षमता हो की इस गतिविधि में जिन रंगों का उपयोग किया जाएगा वे रासायनिक होंगे या फिर प्राकृतिक? रासायनिक रंगों से पर्यावरण को क्या–क्या खतरें हो सकता हैं ? कौन–कौन से रंग व कौनसी तकनीक अपनाई जाएँ जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाती हो ?

किसी भी विषय की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम संस्थान विशेष से कुछ बुनियादी सुविधाओं की मांग करता है जिससे कि उसके एवं

क्रियान्वयन को सुगम बनाया जा सकें। कार्य शिक्षा की पाठ्यचर्या के संदर्भ में यह बात और भी महत्त्वपूर्ण है। गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संस्थान में विशेष प्रावधान जुटाएँ जाने चाहिए –

- संकाय सदस्य/प्रशिक्षक जो 'कार्य शिक्षा' की अवधारणा को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भली–भाँति प्रभावशाली ढंग से समावेश कर सके।
- प्रयोग शाला एवं आवश्यक औजार/उपकरण।
- मौलिक जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित दस्तकारों, शिल्पकारों और श्रमजीवियों के नाम, पते, व सम्पर्क सूची।
- दस्तकारी से जुड़े संस्थानों की क्षेत्रवार सूची।
- विभिन्न प्रकार की तकनीकों, दक्षताओं और कार्यों से सम्बन्धित मार्गदर्शिका।
- भण्डार गृह जिसमें उपकरणों के अतिरिक्त कच्चा माल भी हो। कच्चे माल का चयन कुछ इस तरह से हो की उनसे प्राकृतिक संसाधनों के हनन की सम्भावना कम से कम हो अथवा बिलकुल भी न हो।
- रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने वाले अनोखे शिल्प कौशल और तकनीक, डिजाइन और कार्यों की सूची, इस सूची को अद्यतन करते रहने की जिज्ञासा एवं प्रयास।
- विद्यालयों में कार्य शिक्षा को प्रभावशाली तरीके से लागू करने का मनोभाव।
- ठोस आकलन एवं मूल्यांकन नीति।

विद्यार्थी-शिक्षकों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड

इस विषय की पाठ्यचर्या विद्यार्थी–शिक्षकों से गतिविधियों में शत्–प्रतिशत सहभागिता की तो अपेक्षा करती ही है, साथ ही उन गतिविधियों के आयोजन, संचालन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित रिकॉर्ड रखने व प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा करती है।

लिखित रिकार्ड में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी–

- किए गए कार्यकलाप के उद्देश्य, निहित सामग्री का वर्णन, पाठ्यचर्या विषयों से जुड़ाव।
- सीखे गये कौशलों का विशेष उदाहरण देकर शिक्षा शास्त्र में प्रयोग करने की सम्भावनाएँ।
- समालोचनात्मक विश्लेषण।

प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यकलापों; जैसे : कक्षा–कक्ष या विद्यालय परिसर की सफाई का रिकार्ड रखना आवश्यक नहीं हैं।

रिकॉर्ड (लिखित) के संदर्भ में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी आवश्यक है कि विद्यार्थी–शिक्षक इन रिकॉर्डो की विषयवस्तु पर अधिक ध्यान न देकर उसकी साज–सज्जा व प्रस्तुति पर विशेष ध्यान देते हैं, साज–सज्जा के लिए वे बाजार से खरीदी गई सामग्री, जैसे – रिबन, शीशे, सलमें सितारे, रंगीन टेप आदि का प्रयोग करते हैं। यें एक ओर तो अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ का कारण बनती है वहीं दूसरी ओर इस तरह की सामग्री का प्रयोग पर्यावरण के लिए भी नुकसान देय है। प्रशिक्षण के दौरान उनमें यह भाव अवश्य विकसित हो कि बाह्य साज–सज्जा के अपेक्षा विषयवस्तु लेखन शैली अधिक महत्त्वपूर्ण है।

आपदा प्रबन्ध

इस विषय का अध्ययन अन्य विषयों एवं संस्थागत गतिविधियों के माध्यम से कराया जाएगा।

''कभी किसी को खतरे से पीठ नहीं फेरनी चाहिए और डरकर नहीं भागना चाहिए। ऐसा करके आप खतरे को दुगुना कर देते हैं। यदि आप बेझिझक इसका तुरन्त मुकाबला करते हैं तो आप खतरे को आधा कर देंगे।''

-सर विंस्टन चर्चिल

परिप्रेक्ष्य

आपदा एक प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जनहानि होती है। इसके साथ–साथ आजीविका और सम्पत्ति की भी हानि होती है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को लम्बे समय तक दुःख और कष्ट झेलने पड़ते हैं। अपनी विशाल जनसंख्या और अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत विश्व में सर्वाधिक आपदा आशंका वाले देशों में से एक है।

भारत में 65 प्रतिशत से अधिक भू–भाग भूकम्प के खतरे वाला है तथा 12 प्रतिशत क्षेत्र में बाढ़, 8 प्रतिशत क्षेत्र में चक्रवात तथा 70 प्रतिशत कृषि योग्य भू–क्षेत्र में सूखा पड़ने के खतरे की सम्भावना रहती है। विगत वर्षों में देश के लगभग सभी भागों में महाविनाशकारी घटनाएँ घटित हुई हैं। सन् 1999 में उड़ीसा में आए भयावह चक्रवात ने जन–धन की हानि की। 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में विनाशकारी भूकम्प आया जिसमें कई लोगों के अलावा 971 विद्यार्थी एवं 31 शिक्षक मारे गए। 26 दिसम्बर, 2004 को हिन्द महासागर में प्रलयकारी भूकम्प के कारण उत्पन्न सुनामी लहरों ने भारत सहित दक्षिण –पूर्व एशिया के कम से कम बारह देशों में तबाही मचाई । भारत के तमिलनाडु में इस सुनामी से 8000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई।

अतः ऐसी स्थिति में आपदा प्रबन्धन के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम होना चाहिए जिससे आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। एक जागरूक विद्यार्थी एवं नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह आपदाओं की जानकारी एवं उनसे निपटने के उपायों की जानकारी हासिल करें।

आपदा प्रबन्ध का अर्थ

वे क्रियाएँ जिनके द्वारा आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है या उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, वे क्रियाएँ आपदा प्रबन्ध कहलाती हैं।

उद्देश्य

डाइट/B.S.T.C. (D.El.Ed.) पाठ्यचर्या में इस विषय को सम्मिलित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- आपदा प्रबन्ध के सम्बन्ध में विद्यार्थी–शिक्षकों में अवबोध एवं कौशल विकसित करना।
- आपदा प्रबन्ध के प्रति जनसमुदाय में जागृति एवं समझ उत्पन्न करना।
- आपदा से होने वाली संभावित हानि को कम करना।
- आपदा घटित होने के पश्चात् राहत एवं बचाव कार्य करना।

आपदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

आपदा एक ऐसी भयानक दुर्घटना है जिसका दुःख व कष्ट लम्बे समय तक व्यापक रूप में रहता है। आपदाएँ दो प्रकार की होती हैं– प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित।

प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ

1. भूकम्प
2. बाढ़
3. सूखा

4. भू–स्खलन
5. आग
6. ज्वालामुखी
7. बादल फटना
8. तूफान एवं चक्रवात
9. सुनामी

प्रमुख मानव-निर्मित आपदाएँ

1. युद्ध
2. दंगा
3. यातायात– साधनों सम्बन्धी दुर्घटनाएँ
4. आग
5. औद्योगिक दुर्घटनाएँ
6. नाभिकीय दुर्घटनाएँ

उपर्युक्त आपदाओं की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जा रही है।

1. **भूकम्प** - भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन से उत्पन्न होता है। सामान्यतः भूगर्भित चट्टानों की हलचल से उठने वाले लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते हैं।

   भूकम्प के कारण मकानों में दरारें पड़ जाती है। भूकम्प की तीव्रता अधिक होने पर मकान धराशायी हो जाते हैं और जन–धन की अधिक क्षति होती है।

   भूकम्प आने पर क्या करें–

   – शान्त रहें, घबराएँ नहीं।

   – दरवाजों, खिड़कियों से दूर रहें। हो सकें तो मजबूत मेज, पलंग के नीचे घुस जाएँ।

   – कमरे के कोने में बैठ जाएँ तथा अपना सिर तकिया, कम्बल इत्यादि से ढक लें।

   – भूकम्प के दौरान बाहर न निकलें, सुरक्षित होने पर ही बाहर निकलें। दीवारों पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें।

   – यदि वाहन चला रहे हों तो वाहन को बड़े भवन, पेड़ इत्यादि से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खडे हों।

2. **बाढ़** - यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती हैं और पानी खेतों और बस्तियों में घुस जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। कभी–कभी बड़े बाँध, नहर या तालाब के टूटने से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे जन–धन की भारी हानि होती है।

3. **सूखा** - जल या वर्षा के अभाव के कारण सूखा पड़ता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा सम्बन्धित उपक्रमों पर पड़ता है। सिंचाई आयोग के अनुसार "सूखा वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो।"

4. **भू-स्खलन** - जब किसी ऊँचाई या ढाल से नीचे की ओर मिट्टी या कोई भू–भाग सरकता है तो इस घटना को 'भू–स्खलन' कहते है। इसमें मकानों के दबने से जन–धन की हानि होती है।

   सन् 1980 में नैनीताल में हुए भू–स्खलन से शहर का एक भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया था।

5. **आग** - वर्तमान में आग जनित दुर्घटनाएँ हमारी व्यापक चिन्ता का कारण है। ये दुर्घटनाएँ प्रायः इतनी विनाशकारी होती हैं कि

इनके कारण जान–माल की व्यापक क्षति होती है। महानगरों में विशाल इमारतों एवं फैक्ट्रियों में होने वाली आग से जन–धन की भारी हानि होती है। जंगल की आग से भारी मात्रा में पेड़–पौधे व वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। यह जैवविविधता के लिए भारी खतरा है।

वर्तमान में बिजली के उपकरणों का सावधानी से प्रयोग न करना या शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना आग दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन गया है।

आग जनित दुर्घटनाओं से बचने के उपाय -

– घर के भीतर पेट्रोल जैसे अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ न रखें।

– घर से बाहर जाने पर रसोई गैस, बिजली उपकरणों को ठीक से बन्द करके जाना चाहिए।

– बिजली के एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण न लगाएँ।

– घर, कार्यालय, कारखानों में अग्निशामक यन्त्र रखें तथा सभी व्यक्तियों को इनके उपयोग हेतु प्रशिक्षित करें।

6. **ज्वालामुखी फटना** - ज्वालामुखी एक प्रकार की पर्वतीय सरंचना होती है जिनमें समय–समय पर विस्फोट होता रहता है तथा भारी मात्रा में राख, लावा, इत्यादि निकलता है। अति तप्त लावा (पिघली हुई चट्टानें) बहकर आबादी क्षेत्रों में भारी क्षति पहुँचाता है।

7. **बादल फटना** - बादलों से वर्षा होती है। वायुमण्डलीय परिस्थितियों के कारण कभी –कभी बादलों से यह जल भारी मात्रा में एक साथ एक ही क्षेत्र पर गिरती है जिससे भारी मात्रा में जन–धन की हानि होती है, जैसा विगत समय मे लद्दाख क्षेत्र में हुआ।

प्रमुख मानवनिर्मित आपदाएँ :-

1. **युद्ध** - वर्तमान समय में मानव निर्मित आपदाओं में से युद्ध एक प्रमुख आपदा है। आज विश्व के सभी क्षेत्रों में हथियारों में वृद्धि करने की होड़ लगी है। युद्ध के समय परम्परागत हथियारों के साथ साथ नाभिकीय आयुधों का भी प्रयोग किया जाने लगा है जिससे व्यापक स्तर पर जन–धन की हानि होती है। युद्ध का नुकसान देशवासियों को लम्बे समय तक भुगतना पड़ता है। इससे देश का आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है।

2. **दंगा** - आज के समय में सहिष्णुता की कमी व धार्मिक कट्टरता के कारण समुदायों के बीच में कभी भी दंगा शुरू हो जाता है, जिससे आगजनी, मारकाट, लूटपाट की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जान–माल की व्यापक क्षति हो जाती है। भारत विभाजन के समय व्यापक मात्रा में हुए दंगों के दर्द को लोग आज भी भूला नहीं पाए हैं।

3. **यातायात साधनों सम्बन्धी दुर्घटनाएँ** - वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण यातायात के साधनों का विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। मनुष्य की असावधानी, तकनीकी खराबी, नियमों की अवहेलना और अनुशासनहीनता के कारण आए दिन सड़क, रेल व वायुयान दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। भारत में प्रतिवर्ष भारी संख्या में ये दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें लाखों व्यक्ति मारे जाते हैं, कई अपंग हो जाते हैं, जिसके कष्ट को वे जीवन भर सहते हैं।

4. **औद्योगिक /रासायनिक दुर्घटनाएँ** - आधुनिक दुनिया में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के साथ रसायनों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। जहाँ रसायन मानव के लिए वरदान है, वहीं मानवीय गलती और तकनीकी खराबी के कारण औद्योगिक एवं रसायनिक दुर्घटनाएँ घटित हो जाती हैं जिनका परिणाम अनेक पीढ़ियों को भुगतना पड़ता हैं। भारत की प्रमुख घटनाओं में से एक 1984 की भोपाल गैस त्रासदी है। इसमें यूनियन कार्बाइड के कारखाने से, जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। इससे तीन हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई व इससे प्रभावित जीवित बचे हजारों लोग मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनाओं से जान–माल की हानि के साथ पर्यावरण को भी व्यापक क्षति होती है।

5. **नाभिकीय दुर्घटनाएँ** - नाभिकीय आयुधों के प्रयोग के कारण ही नाभिकीय दुर्घटनाएँ घटित होने की संभावनाएं बनी रहती है। एक अकेला नाभिकीय आयुध बड़े से बड़े पारम्परिक विस्फोटकों से अत्यधिक शक्तिशाली होता है। 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्रमशः से जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर अणुबम गिराया, जिससे दोनों नगरों का अधिकांश भाग

तत्काल नष्ट हो गया। नगरों के अधिकतम भागों में आग लग गई। इस दुर्घटना में हजारों लोग मारे गए तथा घायल हो गए। नाभिकीय ऊर्जा संयत्रों में भी दुर्घटनाएँ होती हैं। इनसे होने वाले रेडियो–ऐक्टिव विकिरण जीवों को भारी हानि पहुँचाने वाले होते हैं।

आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित संस्थाएँ

आपदा प्रबन्ध में सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाएँ मदद करती हैं, जिनका ज्ञान शिक्षक एवं विद्यार्थियों को होना आवश्यक है।

सरकारी संस्थाएँ

आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित सरकारी संस्थाओं को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है–

1. केन्द्रीय स्तर पर आपदा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ–
   - प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल
   - केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबन्ध–समूह
   - केन्द्रीय सहायता आयुक्त की अध्यक्षता में संकट प्रबन्ध समिति
   - तकनीकी संगठन– भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (चक्रवात व भूकम्प), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, इत्यादि।
2. राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ –
   - मुख्यमंत्री / मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति– राहत आयुक्त / आपदा प्रबन्ध आयुक्त, राज्य स्तरीय समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं।
3. जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थाएँ–
   - जिला कलेक्ट्रेट – जिला स्तर पर राहत पहुँचाने की प्रमुख जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, इस हेतु जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन (नागरिक सुरक्षा विभाग), आपदा प्रबन्धन विभाग के माध्यम से राहत पहुँचाने का कार्य करता है।
4. खण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर की संस्थाएँ– खण्ड स्तर पर विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच व ग्राम सेवक आपदा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होते हैं।

गैर सरकारी संस्थाएँ

सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त आपदा प्रबन्ध में कुछ गैर–सरकारी संस्थाएँ भी महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं।

- रेड–क्रास सोसायटी
- राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S)
- राष्ट्रीय केडेट कोर (N.C.C)
- होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा
- नेहरू युवा केन्द्र, इत्यादि

आपदा प्रबन्ध के चरण

आपदा प्रबन्ध को सामान्यतः तीन चरणों में विभाजित किया जाता है। ये चरण निम्नवत् हैं–

1. आपदा पूर्व प्रबन्ध
2. आपदा के समय प्रबन्ध
3. आपदा के पश्चात् प्रबन्ध

'आपदाएँ कभी भी कहकर नहीं आतीं, अनायास आ जाती हैं। अतः इनके लिए पूर्ण प्रबन्ध अति आवश्यक है।

यहाँ बाढ़ का उदाहरण लेकर आपदा प्रबन्ध के चरणों का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है।

1. आपदा पूर्व प्रबन्धन – किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करके आपदा से होने वाले प्रभाव एवं नुकसान को कम किया जा सकता है। आपदा से पूर्व निम्न तैयारियाँ करना आवश्यक है।
   - फर्स्ट एड बॉक्स एवं आवश्यक दवाईयाँ
   - खाद्य सामग्री एवं शुद्ध जल का भंडारण
   - आपदा प्रबन्ध में सहायक संस्थाओं जैसे–स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्ध विभाग, इत्यादि के फोन/मोबाइल नम्बर
   - परिवार के सदस्यों के फोटो एवं मोबाइल नम्बर।
   - सुरक्षित स्थानों की सूची एवं वहाँ तक पहुँचने के मार्ग का नक्शा व पहुँचने के साधनों की सूची
   - मजबूत रस्सियाँ, टॉर्च, वाटरप्रूफ थैले, छाता, लाठी, इत्यादि।
2. आपदा के समय प्रबन्धन
   - ऊँचे एवं सुरक्षित स्थानों, घरों की छतों पर पहुँचना
   - निचले क्षेत्र के रहने वाले लोगों को चेतावनी देना
   - भोजन व पानी को सुरक्षित रखना
   - बाढ़ के पानी में प्रवेश के समय लाठी/डंडा का सहारा लेना तथा गहरे पानी में जाने से बचना
   - साँप एवं अन्य जहरीले कीटों से सावधान रहना
3. आपदा पश्चात् प्रबन्ध
   - आपदा (बाढ़) में फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना
   - जरूरतमंद लोगों के लिए राहत केन्द्रों की स्थापना करना एवं घायल तथा बीमार लोगों को राहत केन्द्र या अस्पताल पहुँचाना
   - बेघर हुए लोगों के लिए आवास, भोजन, पानी एवं कपड़ों की व्यवस्था करना
   - बाढ़ के पश्चात् फैलने वाली संभावित बीमारियों से बचने के लिए सफाई व्यवस्था करना, मृत जानवरों को हटवाना।

आपदा प्रबन्ध (विद्यालय स्तर पर)

विद्यालय में आपदा प्रबन्धन की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो? यह एक विचारणीय बिन्दु है। आपदा से सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व बताने में विद्यालय की अहम् भूमिका है।

विगत कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं, जिनमें बड़ी भारी संख्या में विद्यार्थी प्रभावित हुए है। ये घटनाएँ इस बात का अहसास कराती हैं कि विद्यालय हर दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासक, शिक्षक और विद्यार्थी घटना से पहले बेहतर तरीके से प्रशिक्षित हों। नकली अभ्यास कर लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाने का कौशल प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यालय में सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए जरूरी है कि आपदा प्रबन्ध की योजना तैयार की जाए, ताकि आपदा के समय होने वाली हानि को कम किया जा सकें।

आपदा प्रबन्ध योजना के मुख्य बिन्दु

– शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन में संवेदनशीलता और जागरूकता

– विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति का गठन

– संसाधनों की सूची

– संकट की पहचान एवं आकलन

– भवन का मानचित्र जिससे सुगम मार्ग ढूंढा जा सकें और सुरक्षित स्थान तक पहुँच बन सके।

– आपदा दलों का गठन एवं समय–समय पर प्रशिक्षण

– नकली अभ्यास (प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण)

– योजना का पुनरवलोकन, स्वीकृति, आधुनिकीकरण

– अग्निशमन यन्त्र आदि लगाना।

– दमकल सेवा विभाग, पुलिस विभाग, रेडक्रॉस की मदद लेना (दूरभाष नम्बर)।

घर एवं समुदाय में आपदा प्रबन्ध

घरों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संकटों से बचाना उसमें रहने वाले लोगों का ही दायित्व है। यह ऐसा दायित्व है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए।

– घर के सभी सदस्यों को अपनी–अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराना, साथ ही समय–समय पर नकली अभ्यास करते रहना।

– संकट की पहचान व आकलन करना।

– घर में उपयोग में लिए जाने वाले संसाधनों की सूची एवं उनको रखने का स्थान नियत होना।

– परिवार आपदा किट तैयार करना – जैसे परिवार के सदस्यों का फोटो, रिश्तेदारों और मित्रों के फोन नम्बर, आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित विभागों के फोन नम्बर, आवश्यक दवाइयाँ, जरूरी दस्तावेज, भोजन की सूखी वस्तुएँ, प्राथमिक उपचार बक्सा आदि।

आपदा प्रबन्धन क्रियाकलाप व अन्य विषयों से अन्तर्सम्बन्ध

क्र.स.	कष्ट/आपदा का स्वरूप	पहचान	क्रियाकलाप, बचाव व सावधानियाँ	अन्य विषयों से अन्तर्सम्बन्ध	विशेष विवरण
1.	चोट लगना	दर्द का अनुभव, खून बहना, हड्डी टूटना	शिक्षक साथियों, घर के सदस्यों को सूचित करना, दवा लगाना, पट्टी करना।	शारीरिक शिक्षा कक्षा 1 से 8	प्राथमिक चिकित्सा किट का निर्माण एवं सामग्री का सूचीकरण करना।
2.	सामान्य दुर्घटना, गड्डे में फिसल कर गिरना, आग से झुलसना, वाहन से टकराना	दर्द, जलन का अनुभव, खून बहना, हड्डी टूटना	क्र.सं.1 के अतिरिक्त आग की जलन को कम करने के लिए पानी, बर्फ का प्रयोग करना।	शारीरिक शिक्षा कक्षा 1 से 8	—
3.	बिजली के तारों/उपकरणों से सम्बन्धित दुर्घटनाएँ	करंट का हल्का या तेज झटका लगना	बिजली के तारों, प्लगों उपकरणों से अनावश्यक छेड–छाड़ नहीं करें। बिजली के तारों को खुला न छोडकर उन पर टेप लगाएँ।	विज्ञान कक्षा 6 से 8	बिजली के उपकरणों, प्लगों, तारों आदि से परिचय कराना।
4.	विषाक्त भोजन/वस्तुओं का सेवन	जी घबराना, उल्टी दस्त होना।	विषाक्त भोजन व अन्य विषाक्त वस्तुओं जैसे– (रतनजोत के बीज) की जानकारी होना। खराब हो चुके भोजन तथा विषैली वस्तुओं के उपयोग से बचना।	शारीरिक शिक्षा कक्षा 1 से 8	दूषित खाद्य पदार्थ तथा मिलावट की पहचान करना।
5.	औद्योगिक दुर्घटना	सांस में कठिनाई, आँखों में जलन	खुले स्थान में जाने पर मास्क का प्रयोग करना।	विज्ञान कक्षा 6 से 8	चार्ट बनवाना, सम्बन्धित फिल्म प्रदर्शन
6.	सूखा	पानी की कमी, जमीन में चौड़ी दरारें	पानी का संरक्षण करना, बारिश के पानी के संग्रहण की जानकारी कराना।	समाजिक विज्ञान कक्षा 4 से 8	चित्र बनाना/चार्ट बनाना
7.	भूकम्प	धरती का हिलना, घर के सामान का नीचे गिरना, खिड़की के शीशे टूटना	खुले स्थान में जाना, घर के कोने में खड़े होना, मेज के नीचे बैठना।	समाजिक विज्ञान 4.8	भूकम्प से बचने के उपायो का चार्ट बनाना।
8.	आग लगना	ऊँची लपटें, चारों तरफ धुएँ का फैलना, सांस लेने में कठिनाई होना।	कम्बल का उपयोग, आग की विपरीत दिशा से बाहर निकलने का प्रयास, अग्निशमन यन्त्र का प्रयोग, फायर बिग्रेड को सूचित करना।	शारीरिक शिक्षा कक्षा 1 से 8	अग्निशमन यंत्र का चित्र व कार्यप्रणाली पर चार्ट बनाना, कार्यसाधक अग्निशमन बनाना (बोतल, सोडियम कार्बोनेट तनु अम्ल कार्क तथा टयूब)

पाद्यक्रम निर्माण समिति

संरक्षक — भँवरसिंह सान्दू, निदेशक, एस.आइ.ई.आर.टी. उदयपुर।

मुख्य समन्वयक — रश्मि भार्गव, विभागाध्यक्ष, शिक्षक–शिक्षा विभाग, एस.आइ.ई.आर.टी. उदयपुर।

अरविन्द शर्मा, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, कार्यक्रम, आई.एफ.आई.जी. उदयपुर।

संदर्भ व्यक्ति

श्री सी.एन. सुब्रमण्यम, एकलव्य, होशंगाबाद, भोपाल

श्री उत्पल चक्रवर्ती, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़

डॉ. रंजना अरोड़ा, प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

डॉ. सरोज पाण्डेय, एसो. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

डॉ. अनिता रस्तोगी, एसो. प्रोफेसर, जामामिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली

श्री फराह फारूखी, एसो. प्रोफेसर, जामिया, नई दिल्ली

डॉ. उषा शर्मा, एसो. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

श्री आर, मेघनाथन, एसो. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

अंजली नरोन्हा, एकलव्य, होशंगाबाद, भोपाल

डॉ. एस.सी.जैन, से.नि.शिक्षा अधिकारी, अजमेर

डॉ. के.के. शर्मा, से.नि.शिक्षा अधिकारी, अजमेर

डॉ. बीरेन्द्र सिंह रावत, असि.प्रोफे.दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. आई.के. बंसल, से.नि. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

जयश्री सुब्रमण्यम, टी.आई.एस.एस., हैदराबाद

डॉ. राजेश कुमार, प्रधानाचार्य, डाइट, दरियागंज, नई दिल्ली

डॉ. स्मृति शर्मा, एसो. प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. अनिल कुमार, सीनियर लेक्चर, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली

श्री शिवजी गोड़, प्राचार्य, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर

श्री चन्द्र शेखर भारती, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर

श्रीमती रेणुबाला चौधरी, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर

श्रीमती रंजना कोठारी, वरिष्ठ व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्रीमती ज्योत्सना पाण्डेय, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

डॉ. जगदीश कुमावत, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्री अनिल दशोरा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्रीमती सुषमा अहारी, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

डॉ. द्वारिका प्रसाद नागदा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्री सुरेश चन्द्र न्याती, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर

श्री दलजीत महावर, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्रीमती बीना नाहर, सहायक निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्री प्रकाश जोशी, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्रीमती अरूणा धवन, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

श्रीमती मधु ओझा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर

श्रीमती एलीथिया डी.रोजारियो, आई.सी.आई.सी.आई. फाउण्डेशन, उदयपुर

सदस्य

डॉ. सुर्दशन एन.पी., आई.सी.आई.सी.आई. फाउण्डेशन, उदयपुर
श्री कैलाश रावल, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर
श्री इन्द्रा चौहान, अनु.सहायक, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर
श्री रामकुमार आचार्य, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, पंजीयक कार्यालय, बीकानेर
श्रीमती श्यामा माहेश्वरी, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, पंजीयक कार्यालय, बीकानेर
श्रीमती इन्दुबाला पंवार, रीडर, आई.ए.एस.ई., अजमेर
डॉ. संजय कुमार शर्मा, व्याख्याता, सीटीई, सरदार शहर
डॉ. शशी चितौड़ा, प्राचार्य, एल.एम.टी.टी. डबोक उदयपुर
श्री रिपुदीप भटनागर, व्याख्याता, सीटीई, सरदार शहर
डॉ. विद्यानन्द पाण्डेय, व्याख्याता, सीटीई, सरदार शहर
श्री अमिताभ शर्मा, व्याखाता, सीटीई, सरदार शहर
डॉ. चित्रा शर्मा, व्याख्याता, सीटीई, भुसावर
डॉ. सुनीता मुर्डिया, व्याख्याता, एल.एम.टी.टी. डबोक उदयपुर
श्री गौतम प्रसाद जोशी, सेवा नि. व्याख्याता, प्रतापगढ़
श्री पदम मणी वर्मा, व्याख्याता, सीटीई, भुसावर
डॉ. सुमन लता शर्मा, व्याख्याता, सीटीई, भुसावर
श्री विष्णु कुमार खडुरियार, व्याख्याता, सीटीई, हटुंडी, अजमेर
श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, प्राचार्य, निम्बार्क, उदयपुर
श्रीमती आभा मेहता, प्रधानाचार्य डाइट, डूंगरपुर
श्री सुशील कुमार जैन, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. नगर बांसवाड़ा
डॉ. रौनक खान, से.नि. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा
श्री नरेश कुमार माथुर, व्याख्याता, निम्बार्क शि.प्र.महाविद्यालय, उदयपुर
श्री अर्जुन सिंह सांखला, प्राचार्य लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जोधपुर
श्री नारायण लाल चौबीसा, सेवा नि. प्राचार्य, उदयपुर
श्री मोहन लाल पालीवाल, सेवा निवृत, उदयपुर
श्री सुभाष चन्द्र मंगल, वरि. व्याख्याता, डाइट मसूदा अजमेर
श्री विष्णु दत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. सरदार नगर भीलवाड़ा
श्री अमित बाहेती, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर लो.मा.ति. शि.प्र. वि.वि. डबोक, उदयपुर
श्री हामिद हसन खान, व्याख्याता, आई.ए.एस.ई, अजमेर
सुश्री हुस्न बानो, वरि. व्याख्याता, डाइट, झालरापाटन
श्री गोपाल दास दवे, वरि. व्याख्याता, डाइट, बाड़मेर
डॉ. श्याम सुंदर कौशिक, वरि., व्याख्याता, डाइट, चुरू
श्री लाल चन्द्र नागर, वरि. व्याख्याता, डाइट, बारां
श्री अश्विनी कुमार, वरि., व्याख्याता, डाइट, हनुमानगढ़
श्री कृष्ण लाल धावरिया, वरि., व्याख्याता, डाइट, अलवर
श्री भेरा राम प्रजापत, वरि., व्याख्याता, बगड़ीनगर, पाली
श्रीमती निर्मला शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट उदयपुर
श्री धनराज दवे, उपप्राचार्य, डाइट, जालौर

श्री खेताराम चौधरी, उपप्राचार्य, डाइट, बाड़मेर
श्री उमेश चन्द्र शर्मा, उपप्राचार्य, डाइट, भरतपुर
श्री उगमदान बारहठ, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, जैसलमेर
श्री मोहम्मद नसीम, प्रिंसीपल, डाइट, टोंक
श्री दिनेश उपाध्याय, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, गड़ी, बासंवाड़ा
श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, प्रधानाचार्य, डाइट, बीकानेर
श्री सुमेर सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, चुरू
श्रीमती प्रेमलता मान, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, झुन्झुनू
डॉ. अजीत सिंह देथा, उपप्रधानाचार्य, डाइट, कुचामन सिटी, नागौर
श्री मेघसिंह दुलड़, उपप्रधानाचार्य, डाइट, सीकर
श्री नाथूलाल कुड़ी, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, बगड़ी नगर पाली
श्रीमती पुष्पिता लाहिड़ी, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट चुनावट, श्रीगंगानगर
श्री रिपुसुदन सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, भरतपुर
डॉ. शमीम खान, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, झालरापाटन, झालावाड़
श्री दुर्गाशंकर मालव, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, बारां
श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, गोनेर, जयपुर
श्री ओम प्रकाश मोदी, व्याख्याता, डाइट, बारां
श्री लोकेश पालीवाल, व्याख्याता, डाइट, नाथुद्वारा, राजसमंद
श्री रमाकान्त शर्मा, व्याख्याता, डाइट, सीकर
डॉ. ललित किशोरी भट्ट, व्याख्याता, डाइट, डुंगरपुर
श्री दुर्गाराम सुथार, व्याख्याता, डाइट, बगड़ीनगर पाली
श्री गोवद्धन राम, व्याख्याता, डाइट, बाड़मेर
श्री मदन लाल मीणा, व्याख्याता, डाइट, सीकर
श्रीमती इन्द्रिरा सहारण, व्याख्याता, डाइट, चुरू
श्री विजय भान सिंह, व्याख्याता, डाइट, बून्दी
श्री जसवन्त सिंह नरूका, व्याख्याता, डाइट, टोंक
श्री लाला सेन, व्याख्याता, डाइट, जालौर
श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा, व्याख्याता, डाइट, धौलपुर
श्री मामराज कुमावत, व्याख्याता, डाइट, सीकर
श्री विजेन्द्र कुमार बसवाला, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. वसी डुंगरपुर
श्रीमती सुमन लता, व्याख्याता, डाइट, जोधपुर
श्री सुरेन्द्र उकावत, व्याख्याता, डाइट, डूंगरपुर
श्री घनश्याम, व्याख्याता, डाइट दौसा
श्री भंवर सिंह चौधरी, व्याख्याता, डाइट, जोधपुर
श्रीमती सुनिता कृष्णियाँ, व्याख्याता, डाइट, झुन्झुनू
श्री तिलक राज, व्याख्याता, डाइट, चूनावट, श्रीगंगानगर
श्री भैरूलाल वीरवाल, व्याख्याता, डाइट, चित्तौड़गढ़
श्री अशोक कुमार गुप्ता, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. ब्रेहनेरा, भरतपुर

श्रीमती निशा व्यास, व्याख्याता, डाइट, उदयपुर
डॉ. रतन लाल कुमावत, व्याख्याता, डाइट, नाथुद्वारा
श्री हनुमान प्रसाद उपाध्याय, व्याख्याता, डाइट, जालौर
श्री डी.डी. गोतम, व्याख्याता, डाइट, भरतपुर
श्री शंकर शर्मा, व्याख्याता, डाइट, जालौर
श्री धर्मेश जैन, व्याख्याता, डाइट, डुंगरपुर
श्री नेक राम ओझा, व्याख्याता, डाइट, जालौर
डॉ. शबनम चतुर्वेदी, रा.बा.उ.मा.वि. रेजीडेन्सी उदयपुर
श्री चिमन लाल पुरोहित, व्याख्याता, डाइट, बाड़मेर
श्री रामकिशोर यादव, व्याख्याता, डाइट, भरतपुर
श्रीमती रश्मिपुरी गोस्वामी, व्याख्याता, डाइट शाहपुरा, भीलवाड़ा
श्री रूद्रेश कुमार दाधीच, व्याख्याता, डाइट, बूंदी
श्री दुर्गाराम सुथार, व्याख्याता, डाइट, बगड़ी नगर पाली
श्री विजेन्द्र कुमार बसवाला, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. वसी, डूंगरपुर
श्री विजय सिंह राजपूत, व्याख्याता, डाइट, उदयपुर
श्री मांगीलाल दमामी, व्याख्याता, डाइट, जालौर
श्रीमती दर्शना जैन, व्याख्याता, रा.उ.मा.वि. रेजीडेन्सी, उदयपुर
श्री बी.एल. नापित, व्याख्याता, डाइट, दौसा
सुश्री श्रेया, एकलव्य, होशंगाबाद
सुश्री ज्यासनी शर्मा, एकलव्य, होशंगाबाद
श्री हिमांशु श्रीवास्तव, एकलव्य, संस्थान, इन्दोर मप्र
श्री मोहम्मद उमर, सलाहकार, आईसीआईसीआई फाउण्डेशन
श्रीमती अंजली कोठारी, वरि.अध्यापक, रामावि. मटून, उदयपुर
श्रीमती दमयन्ती शर्मा, व.अ. शा.शि., डाइट, उदयपुर

कम्प्यूटर कार्य शिवराज यादव, गिरजाशंकर घारू

सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण

B.S.T.C. (D.El.Ed.)

(प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए)

पाठ्यक्रम

प्रथम वर्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर